जनवरी 2017

# मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

प्रबंध सम्पादक
**संतोष मिश्र**

समन्वय
**मंगला प्रसाद मिश्रा**

परामर्श
**शिवानी वर्मा**
**डॉ. विनोद यादव**

सम्पादक
**रंजना चितले**

सहयोग
**अनिल गुप्ता**

वेबसाइट
**आत्माराम शर्मा**

आकल्पन
**आलोक गुप्ता**
**विनय शंकर राय**

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
**मध्यप्रदेश पंचायिका**
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

## इस अंक में...

**विशेष लेख** : कैशलेस अर्थव्यवस्था हमें विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करेगी 3
**लेख : नकद रहित अर्थव्यवस्था** : लाभप्रद होगी नकदी रहित अर्थव्यवस्था 6
**लेख** : कैशलेस अभियान में सबसे आगे होगा मध्यप्रदेश 8
**खास खबरें** : कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिये सभी जिलों में चलेगा अभियान 11
**लेख** : कैशलेस मध्यप्रदेश एक आर्थिक क्रांति 12
**लेख : नकद रहित अर्थव्यवस्था** : नोटबंदी के पचास दिन बाद सामान्य होती व्यवस्था... 14
**डिजि-धन मेला** : डिजिटल लेनदेन से बढ़ेगी पारदर्शिता 16
**कैशलेस अर्थव्यवस्था** : कैशलेस अर्थव्यवस्था से डिजिटल भारत की ओर 19
**डिजिटल एप भीम** : आपका अंगूठा ही आपकी पहचान 21
**खास खबरें** : प्रदेश के व्यापारियों को उपलब्ध करवायी जायेंगी पी.ओ.एस. मशीनें 29
**अच्छी पहल** : बड़झिरी बना मध्यप्रदेश का पहला डिजिटल ग्राम 30
**डिजिटल भुगतान** : मध्यप्रदेश में डिजिटल भुगतान के लिए प्रयास 31
**सफल गाथा** : सखी समावेशन कार्यक्रम से बैंकिंग कार्य हुआ आसान 32
**खास खबरें** : पंचायत मंत्री ने किया 67 करोड़ 65 लाख रुपये की बीमा राशि... 34
**नर्मदा सेवा यात्रा** : पर्यावरण और नदी संरक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा जन अभियान 35
**पंचायत गजट** : जिला पंचायतों के कार्यों और अधिकारों के नियम 41

# आयुक्त की कलम से...

## कैशलेस अर्थव्यवस्था में सबसे पहले डिजिटल बनेगा मध्यप्रदेश

**प्रिय पाठको,**

आज़ादी के लगभग 70 वर्षों में अर्थव्यवस्था को साफ-सुथरी और पारदर्शी बनाने के बहुत उपाय हुए हैं, लेकिन जितनी दवा की, मर्ज उतना ही बढ़ता गया। विदेशी बैंकों में भी काला धन जमा हुआ और देश के भीतर भी काला धन और नकली नोट दोनों का प्रचलन बढ़ा। जिसका सीधा-सीधा लाभ देश के दुश्मनों ने तथा असामाजिक तत्वों ने उठाया। इसे रोकने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि हम अपनी जीवनशैली पारदर्शी एवं मुद्रा रहित बनाएं, यदि लेनदेन बैंक से हो, डिजिटल हो तो इससे न केवल नकली करेंसी प्रचलन से बाहर हो जाएगी, बल्कि काले धन पर भी नियंत्रण होगा। यद्यपि प्रधानमंत्री जी की अपील पर देश की राज्य सरकारें इस दिशा में आगे आ रही हैं, काम भी कर रही हैं, लेकिन मध्यप्रदेश इस पहल में सबसे आगे है। मध्यप्रदेश सरकार ने अपने प्रशासनिक अधिकारियों, संबंधित विषय विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों से जन सामान्य को समझाने और प्रशिक्षित करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री जी के विविध प्रयासों के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव विशेष रुचि लेकर उक्त संबंध में कार्य करा रहे हैं। चूंकि मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों का है। यदि इन क्षेत्रों में मुद्रा रहित लेनदेन या डिजिटल ट्रांजेक्शन के प्रति जागरुकता बढ़ जाती है तो पूरे प्रदेश को डिजिटल बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसे धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों एवं जिला कलेक्टरों को कैशलेस संव्यवहार करने हेतु अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। कृषि उपज मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए, कैशलेस व्यवस्था अपनाने के लिए जागरुकता अभियान चलाये जा रहे हैं। डिजिटल आर्थिक संव्यवहार को प्रोत्साहन देने के लिए ग्राम पंचायतों में शिविरों के माध्यम से प्रशिक्षण दिए जाने की कार्यवाही प्रारंभ की गयी है। सभी ग्राम पंचायतें और प्रदेश के सभी गांवों को ऑनलाइन सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

सरकार के निर्णय और योजनाओं के निर्माण के साथ इसके क्रियान्वयन के लिए सभी बैंकों, सहकारी व ग्रामीण बैंकों, पंचायत प्रतिनिधि, सभी विभागों विशेष रूप से पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों से अपेक्षा है कि वे कैशलेस अर्थव्यवस्था के तहत डिजिटल मध्यप्रदेश के बढ़ते कदमों में पूरे मनोयोग से जुड़ें और अपना सहयोग दें। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की इच्छा है कि डिजिटल लेनदेन में मध्यप्रदेश देश में अव्वल बने। भोपाल जिले का ग्राम बड़झिरी प्रदेश का पहला डिजिटल ग्राम बन गया है। उम्मीद है यह कड़ी आगे बढ़ती जायेगी और प्रदेश के सभी गाँव डिजिटल हो जाएंगे। कैशलेस अर्थव्यवस्था के इन बढ़ते कदमों के विविध पक्षों पर केन्द्रित आलेख और जानकारियों के साथ पंचायिका का यह अंक आपके सामने है। यह अंक आपको कैसा लगा कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।

**नव वर्ष में नया संकल्प, कैशलेस को अपनाएँ।**

***आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ।***

**(संतोष मिश्र)**
**आयुक्त, पंचायत राज**

# कैशलेस अर्थव्यवस्था हमें विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करेगी

● **शिवराज सिंह चौहान**

पूरे देश में 8 नवम्बर, 2016 को एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। इस दिन ने सरकारों के कामकाज की शैली पर जन-मानस द्वारा जो प्रश्न उठाए जाते हैं उसे एक सार्थक उत्तर दिया है। अक्सर सरकारों पर ये आरोप लगते हैं कि वे कठोर निर्णय नहीं ले सकतीं। शक्तिशाली लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले निर्णय लेने से डरती हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 8 नवम्बर, 2016 से 500 और 1000 रुपये के नोटों को बन्द करने के साहसिक निर्णय से इस मिथक को तोड़ा है कि सरकारें दबाव में आकर कठोर निर्णय नहीं लेती हैं।

नोटबंदी का निर्णय इस मामले में ऐतिहासिक है कि इस निर्णय ने लगभग सभी को चौंकाया और यही इसकी खासियत है। पिछले 100 साल के इतिहास में देश में दो बार पहले भी नोटबंदी के निर्णय लिए गए हैं परंतु इन निर्णयों ने लोगों को काफी समय दिया जिसके कारण जो काला धन नोटों की शक्ल में रखने वाले लोग थे, उन्हें इसका पर्याप्त अवसर मिला कि वे इसे बदल पाएं और ऐसे निर्णयों के पीछे का एक मुख्य, उद्देश्य कम सफल रहा। इस बार का निर्णय ऐसा था जिसने अधिकांश लोगों को ऐसी कोई प्लानिंग करने का मौका नहीं दिया।

आलोचकों ने इस बात की आलोचना की है कि यह निर्णय बेहतर प्लानिंग के द्वारा किया जाना चाहिए था और लोगों को पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए था। जब आलोचक यह कहते हैं कि लोगों को पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए था तो वे किन लोगों की बात करते हैं, यह समझ से परे है। क्या वे गरीब जनता की बात करते हैं जिनकी मासिक आय पांच या दस हजार रुपये है और

## डिजिटल बनें – लाभ उठायें

- केंद्र सरकार के पेट्रोलियम पीएसयू पर डिजिटल भुगतान करने पर 0.75% की छूट।
- उपनगरीय रेल नेटवर्क पर 1 जनवरी 2017 से मासिक या सीजनल टिकट की खरीद के लिए डिजिटल भुगतान करने पर 0.5% की छूट।
- ऑनलाइन रेलवे टिकट खरीदने पर 10 लाख रुपये तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा।
- सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के उपभोक्ता पोर्टल से बेची गई बीमा प्रीमियम पर 10% तक की क्रेडिट या छूट।
- नाबार्ड के माध्यम से सरकार ऐसे एक लाख गांवों, जिनकी आबादी 10,000 से कम है, में कम से कम 2 पीओएस डिवाइस लगाने के लिये बैंकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।
- 2000 रुपये तक के लेन-देन पर किसी प्रकार का डिजिटल ट्रांजेक्शन चार्ज/एमडीआर नहीं लगेगा।
- नाबार्ड की मदद से सरकार 4.32 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 'रुपे किसान कार्ड' जारी करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों और सहकारी बैंकों की सहायता करेगी।

जिनके पास एक समय में 5 या 10 बड़े नोटों से अधिक नहीं होते? निःसंदेह वे ऐसे लोगों की बात नहीं करते, क्योंकि ऐसे गरीब लोग जिनके पास 5 या 10 बड़े नोट थे वे तो एक बार में ही उसे बदलवाकर निश्चिंत हो गए। तो फिर ये कौन लोग हैं जिन्हें इसके लिए समय दिया जाना चाहिए था? स्वाभाविक है कि आलोचकों का एक वर्ग उन लोगों की हिमायत कर रहा है जिन्होंने काले धन को नोटों के रूप में जमा कर रखा था। प्रधानमंत्री जी का यह निर्णय कि कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा दिया जाये एक तरह से एक विकासशील देश को विकसित देश की तरफ बढ़ाने की दिशा में लिया गया निर्णय है। ऐसे निर्णय की आलोचना करने के पहले आलोचकों को उसके सभी पहलुओं को देखना चाहिए। हमारे कांग्रेस व अन्य राजनीतिक दलों के मित्र यह कहते हैं कि नोटबंदी के निर्णय से किसानों को नुकसान हुआ और वे समय पर बोनी भी नहीं कर सके। मध्यप्रदेश में स्थिति यह है कि गत वर्ष के कुल 108 लाख हेक्टेयर में बोनी की तुलना में इस वर्ष अब तक 105 लाख हेक्टेयर में बोनी हो चुकी है और कुल बोनी 115 लाख हेक्टेयर तक होगी। स्पष्ट है कि नोटबंदी से बोनी बिलकुल प्रभावित नहीं हुई है।

नोटबंदी के तथाकथित आलोचक यह कहते हैं कि हमारे देश में कैशलेस लेनदेन संभव नहीं है। मध्यप्रदेश की मण्डियों में जहां इन आलोचकों के ही मत में अनपढ़ और अज्ञान किसान अपनी उपज बेचते हैं, नोटबंदी के बाद से 95 प्रतिशत लेनदेन कैशलेस हो रहा है। क्या यह सबकी आंख खोलने के लिए पर्याप्त नहीं है कि एक ऐसा वर्ग जिससे सबसे कम अपेक्षाएं थीं वह वर्ग 95 प्रतिशत कैशलेस लेनदेन कर रहा है? कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने का इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिल सकता है।

यह सही है कि जो भी विकसित देश हैं सभी अधिक से अधिक कैशलेस लेनदेन की तरफ बढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था को यदि पंख लगाने हैं तो हमें विकसित अर्थव्यवस्थाओं से ऐसी चीजें लेनी पड़ेंगी जो उन्हें विकास के उस मुकाम तक पहुंचाने में सफल रही हैं। यह सभी मानते हैं कि कैशलेस लेनदेन से अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार आता है। एक भी अर्थशास्त्री ने ऐसा तर्क नहीं दिया है कि कैशलेस लेनदेन अर्थव्यवस्था के लिए खराब है। यदि कोई चीज अच्छी है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि आगे आकर उसे सफल बनायें और आलोचनाओं के द्वारा उसे विफल न करें। जो लोग यह कहते हैं कि कैशलेस लेन-देन की व्यवस्था इस देश में संभव नहीं वे इस देश के 120 करोड़ लोगों की क्षमताओं को बिना परखे चुनौती देते हैं, जो इस देश के जनमानस के साथ अन्याय है। पिछले दो माह में मध्यप्रदेश में अकेले सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग के जरिये होने वाले लेनदेन में 77 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, POS मशीनों के जरिये होने वाली बिक्री में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्या यह परिणाम, ये इशारा नहीं करते हैं कि हमारे देश की जनता उससे ज्यादा जागरूक और सक्षम है जितना हमारे कतिपय आलोचक समझते हैं?

कैशलेस व्यवस्था का एक और लाभ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दिसम्बर माह में जहां राज्य के दूसरे करों में कमी दिखने को मिली है वहीं वेट में 14% की वृद्धि हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो लेनदेन पहले

नकद रूप में होता था और जिसमें टैक्स की चोरी होती थी वह कैशलेस होने से कम हो रही है। इससे कर संग्रहण में वृद्धि होगी जिससे कल्याणकारी योजनाओं में राज्य सरकारें अधिक खर्च कर पाएंगी।

अब समय की मांग यह है कि हम जनता को कैशलेस लेनदेन के तरीकों के बारे में प्रशिक्षित करें। मध्यप्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पंचायत स्तर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आने वाले दिनों में आयोजित किए जाएंगे, जहां जन-मानस को कैशलेस लेनदेन के विभिन्न तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी।

हमारा यह भी प्रयास है कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के दायरे से जो गरीब परिवार छूट गए हैं उनके भी बैंक खाते खुलवाकर उनका वित्तीय समावेषण किया जाए। दस नवम्बर के बाद से लगभग सात लाख नवीन खाते बैंकों में खोले गए हैं और लगभग पांच लाख नए रूपे कार्ड जारी किए गए हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने पी.ओ.एस. मशीनों पर लगने वाले वेट टैक्स और बैंकों के साथ किए जाने वाले अनुबंध पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की है जिससे छोटे एवं मध्यम व्यापारियों द्वारा पी.ओ.एस. मशीन लगाना आसान होगा।

प्रदेश के समस्त शासकीय संव्यवहार कैशलेस करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। टैक्स शुल्क आदि जमा करने की ऑनलाइन व्यवस्था विभिन्न विभागों द्वारा विकसित की गई है। राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को किए जाने वाले विभिन्न तरह के भुगतान ऑनलाइन किए जा रहे हैं।

राज्य सरकार कैशलेस की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए कृतसंकल्पित है। मेरा हमेशा यह विश्वास रहा है कि प्रदेश की जनता अपना हित बहुत अच्छे ढंग से समझती है और उन्हें पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का नोटबंदी का कदम काला धन जमा करने वाले, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले और जाली नोटों के रूप में देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाले पड़ोसी देश की आकांक्षाओं पर कुठाराघात है। हमारा जन-मानस ऐसे हर कदम को जो देश हित में उठाया गया है अच्छे से समझता है और इस कारण कैशलेस की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में हमें जन-मानस से मदद मिल रही है। आने वाला समय विश्व में भारत का है और कैशलेस अर्थव्यवस्था हमें विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने में निश्चित रूप से मददगार होगी।

*(लेखक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)*

# कैशलेस भुगतान की ओर बढ़ता मध्यप्रदेश

## डिजिटल मध्यप्रदेश

- प्रदेश में पी.ओ.एस. मशीनें वेट और प्रवेश कर से मुक्त।
- प्रधानमंत्री जनधन योजना में 2 करोड़ 29 लाख बैंक खाते खोले गये।
- एक करोड़ 67 लाख 'रुपे' कार्ड जारी।
- प्रदेश के 11 हजार 864 ग्रामीण सब सर्विस एरिया में 'बैंक सखी' और 'बैंक मित्र' के माध्यम से भुगतान प्राप्ति की व्यवस्था।
- समस्त स्कॉलरशिप का ऑनलाइन वितरण।
- एम.पी. मोबाइल एप द्वारा 150 से अधिक नागरिक सेवायें।
- कोषालयों द्वारा समस्त भुगतान ऑनलाइन।
- ई-सम्पदा-एक क्लिक पर संपत्ति का पंजीयन।
- ई-मेल नीति जारी करने वाला मध्यप्रदेश प्रथम राज्य/ ऑफिशियल ई-मेल पर किये गये संवाद वैधानिक।
- डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था।
- शासकीय योजनाओं के सभी हितग्राहियों को सीधे बैंक खाते में राशि भुगतान की व्यवस्था।
- नागरिक सुविधाएं ऑनलाइन देने की व्यवस्था।
- नागरिक सुविधा केन्द्र के रूप में 23 हजार एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क, 14 हजार कॉमन सर्विस सेन्टर और 413 लोक सेवा केन्द्र संचालित।

# लाभप्रद होगी नकदी रहित अर्थव्यवस्था

यकीनन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 नवंबर को देश की अर्थव्यवस्था में काले धन पर नियंत्रण, जाली नोटों को रोकने तथा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के परिप्रेक्ष्य में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का जो निर्णय लिया उससे देश की अर्थव्यवस्था डिजिटल यानी नकदी रहित लेन-देन की ओर बढ़ी है। प्रधानमंत्री के नोटबंदी के निर्णय से देश के परिदृश्य पर काला धन नियंत्रण, जाली मुद्रा नियंत्रण और आतंकवादी गतिविधियों में कमी का स्पष्ट चित्र उभरकर दिखाई दे रहा है। चूँकि देश में करीब 87 फीसदी लेनदेन नकद में होता है और मात्र 13 फीसदी डिजिटल भुगतान का हिस्सा है, ऐसे में देश में देखते ही देखते पूरी तरह डिजिटल भुगतान संबंधी व्यवस्था संभव नहीं है। लेकिन समय के साथ कैशलेस व्यवस्था ही लाभप्रद होगी। 8 नवम्बर, 2016 को नोटबंदी घोषित की गई थी, इसके बाद नकदी रहिन लेनदेन में बहुत जोरदार तेजी दर्ज की गई है। पेटीएम जैसे मोबाइल वॉलेटों से लेनदेन कई गुना बढ़ गए। पेटीएम के आंकड़े बताते हैं कि एक महीने में पेटीएम ने एक करोड़ चालीस लाख नये ग्राहक जोड़ें। एक महीने बाद पेटीएम की ग्राहक संख्या अब 16 करोड़ से पार चली गई है। मोबाइल वॉलेट यानी मोबाइल पर्स जिससे भुगतान दिया जा सकता है और जिसमें भुगतान लिया जा सकता है, उसके लेनदेन में भी भारी वृद्धि हुई। प्वाइंट ऑफ सेल यानी पीओएस मशीन (जिसमें कार्ड के जरिये भुगतान किया जाता है) के लेनदेन भी बहुत तेजी से बढ़े हैं।

निःसंदेह नकदी रहित अर्थव्यवस्था में काला धन नियंत्रित होगा। देश की अर्थव्यवस्था में जारी 500 और 1000 रुपए के नोटों के कारण पिछले कई वर्षों से काला धन देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी आर्थिक व सामाजिक बुराई बना हुआ दिखाई दिया। काला धन देश के विकास के अवसरों को समाप्त करता है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जिन देशों में काला धन बढ़ता जाता है, उन देशों की विकास दर तेजी से नहीं बढ़ पाती। चूंकि हमारा देश इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा विकास दर वाला देश है और देश में विदेशी निवेश भी बढ़ता जा रहा है, ऐसे में काले धन पर लगाम से देश के विकास को नई गति मिल सकती है। यद्यपि सरकार ने काला धन बाहर निकलवाने के लिए इन्कम डिक्लेरेशन स्कीम (आईडीएस) लागू की थी, जिसमें 30 सितंबर, 2016 तक चार महीनों के बीच 64,275 लोगों ने 65,250 करोड़ रुपए की बेनामी आय व संपत्ति की घोषणा की। इसके अलावा काले धन पर मोदी सरकार ने पिछले दो साल में जिस तरह से सख्ती की है, उसकी वजह से विदेशों में भारतीयों के द्वारा रखे जाने वाले काले धन में भी कमी आई है। नोटबंदी के बाद काला धन रखने वालों के द्वारा अघोषित आय को घोषित करने का एक और मौका देने के लिए सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाई है। इसके तहत 31 मार्च, 2017 तक अब काला धन रखने वाले 50 प्रतिशत टैक्स देकर बाकी की 50 प्रतिशत संपत्ति सफेद करा सकेंगे। इनसे न स्रोत पूछा जाएगा और न कार्रवाई होगी। हालांकि सफेद हुई 50 प्रतिशत संपत्ति में से आधी 4 साल तक फ्रीज रहेगी और इस पर ब्याज भी नहीं मिलेगा। यानी 25 प्रतिशत रकम ही सफेद होकर तत्काल वापस मिलेगी। फ्रीज की गई रकम गरीबों की भलाई पर खर्च होगी। लेकिन अगर आयकर विभाग छापेमारी में खुद काली कमाई जप्त करता है तो टैक्स और पेनाल्टी समेत 85 प्रतिशत तक कटौती होगी।

यह बात भी महत्वपूर्ण है कि देश काले धन के कारण भ्रष्टाचार से मुक्त होने से अभी बहुत दूर है और भ्रष्टाचार देश के प्रत्येक वर्ग के लिए दुख का कारण बना हुआ है। जहाँ देश का आम आदमी भ्रष्टाचार के कारण अपनी मुश्किलें देखता है और आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे में जब काला धन नियंत्रित होगा तो भ्रष्टाचार भी रुकेगा, क्योंकि काला धन और भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निश्चित रूप से नकदी रहित अर्थव्यवस्था की डगर पर आगे बढ़ने से भ्रष्टाचार रुकेगा। देश में कैशलेस व्यवस्था के कारण आतंकवादी गतिविधियों को भी रोकने में मदद मिलेगी। देश के आर्थिक विकास को आतंकवादी गतिविधियों से भारी नुकसान हो रहा है। ये

आतंकवादी गतिविधियां काले धन और जाली नोटों से संचालित होती हैं। पिछले एक वर्ष में ही देश में जाली नोटों के जो मामले सामने आए हैं, उनका विश्लेषण बताता है कि बड़ी संख्या में 500 और 1000 रुपए मूल्य के जाली नोट पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते भारत में आए और इन्होंने आतंकवादियों को आर्थिक ताकत दी। निश्चित रूप से 500 और 1000 रुपए के नोटों के अमान्य होने से ऐसी आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगेगी, जो इस समय देश की एक महत्वपूर्ण आर्थिक-सामाजिक-सामरिक आवश्यकता मानी जा रही है। नोटबंदी के बाद आतंकवादी गतिविधियों में स्पष्ट रूप से कमी आई है।

लेकिन नकदी रहित अर्थव्यवस्था की डगर पर कई चुनौतियाँ मौजूद हैं। देश के साथ-साथ मध्यप्रदेश में डिजिटल व्यवस्था के लिए भारी प्रयास करने होंगे। चूँकि अर्थव्यवस्था में अधिकांश लेनदेन नकद है। ऐसे में अब डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए कई कमियों को दूर करना होगा। देश में अभी 13 लाख पाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल हैं। इस बुनियादी ढाँचे को कई गुना बढ़ाया जाना होगा। मार्च 2016 तक भारत में करीब 66 करोड़ डेबिट कार्ड चलन में हैं, इनमें से 87 फीसदी डेबिट कार्डों का इस्तेमाल एटीएम से केवल नकद निकासी के लिए ही हो रहा है। देश में क्रेडिट कार्ड केवल 2.3 करोड़ ही हैं। ऐसे में डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बारे में जागरूकता अभियान चलाकर इन्हें लोकप्रिय बनाया जाना जरूरी होगा। यह प्रयास करना होगा कि बैंकिंग प्रणाली के जरिये लेन-देन साफ सुथरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े। केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय ई-ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना होंगे। इस समय सरकारी महकमों में ई-ट्रांजेक्शन पर जो शुल्क लगाया जा रहा है वह ग्राहकों से नहीं वसूला जाना चाहिए। डेबिट-क्रेडिट कार्ड यानी प्लास्टिक मनी को तेजी से प्रोत्साहित करने की रणनीति बनाई जानी चाहिए।

इस समय पूरे देश की तरह मध्यप्रदेश के शहरों में ही नहीं वरन गाँवों में भी नोटबंदी, काला धन नियंत्रण और डिजिटल यानी नकदी रहित अर्थव्यवस्था के लिए भारी प्रयास करने होंगे यह सुखद परिदृश्य है कि मध्यप्रदेश में कई नगर निगमों, नगर पालिकाओं और पंचायतों को नकदी रहित लेनदेन के लिए चिन्हित कर लिया गया है। मध्यप्रदेश के गाँवों में भी डिजिटल व्यवस्था के लिए तेजी से कदम बढ़ाना जरूरी है। इस परिप्रेक्ष्य में यह प्रशंसनीय है कि अब मध्यप्रदेश में पहला नकदी रहित कैशलेस गांव बन गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने राज्य सरकार के साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिसके तहत बड़झिरी गांव को नगदी रहित गांव में बदला गया। बड़झिरी गांव प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाहरी इलाके में है। कैशलेस बनाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा इस गांव के सभी दुकानदारों को पीओएस उपलब्ध कराने के साथ-साथ एटीएम एवं ऑनलाइन भुगतान सुविधा केंद्र स्थापित किये गये, ताकि डिजिटल लेनदेन सुनिश्चित किया जा सके। यह भी जरूरी है कि मध्यप्रदेश के गांवों में लोगों को नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर प्रेरित करने के लिए कुछ और विशेष प्रयास किए जाएँ। प्रदेश की ग्राम पंचायतों को डिजिटल व्यवस्था के लिए आगे आना होगा। ग्रामीणों को इस व्यवस्था के लिए जागरूक करना होगा। सरकारी कर्मचारियों एवं एनजीओ के सहयोग से कैशलेस भुगतान के पाँच आसान तरीकों से गांव के लोगों को परिचित कराना होगा। ये पाँच तरीके हैं- पहला कार्ड्स, पीओएस, दूसरा आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तीसरा आपकी बैंक के यूपीआई एप के द्वारा भुगतान, चौथा प्रीपेड वॉलेट तथा पाँचवाँ यूएसएसडी अर्थात फीचर फोन से लेनदेन करना। निःसंदेह नोटबंदी का कदम काला धन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और जाली नोटों के कुचक्र के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का कदम है। इससे निश्चित रूप से नकदी रहित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। हम सभी का कर्तव्य है कि हम काला धन नियंत्रण और नकदी रहित अर्थव्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा उठाए गए कदम को व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय यज्ञ की तरह मानते हुए अपना अधिकतम योगदान दें।

**मध्यप्रदेश के गाँवों में डिजिटल व्यवस्था के लिए तेजी से कदम बढ़ना शुरू हो गए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह प्रशंसनीय है कि मध्यप्रदेश में पहला नकदी रहित कैशलेस गांव बन गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने राज्य सरकार के साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिसके तहत बड़झिरी गांव को नगदी रहित गांव में बदला गया। बड़झिरी गांव प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाहरी इलाके में है। यह भी जरूरी है कि मध्यप्रदेश के गांवों में लोगों को नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर प्रेरित करने के लिए कुछ और विशेष प्रयास किए जाएँ। प्रदेश की ग्राम पंचायतों को डिजिटल व्यवस्था के लिए आगे आना होगा। ग्रामीणों को इस व्यवस्था के लिए जागरूक करना होगा। सरकारी कर्मचारियों एवं एनजीओ के सहयोग से कैशलेस भुगतान के पाँच आसान तरीकों से गांवों के लोगों को परिचित कराना होगा। ये पाँच तरीके हैं-पहला कार्ड्स, पीओएस, दूसरा आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तीसरा आपकी बैंक के यूपीआई एप के द्वारा भुगतान, चौथा प्रीपेड वॉलेट तथा पाँचवाँ यूएसएसडी अर्थात फीचर फोन से लेनदेन करना।**

● **डॉ. जयंतीलाल भंडारी**
*(लेखक ख्यात अर्थशास्त्री हैं)*

**जन-जीवन में इन दिनों दो शब्द बहुत चर्चा में हैं। एक 'कैशलेश' और दूसरा 'डिजिटल-करेंसी'। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई नोट बदली योजना के अगले पायदान पर ये दोनों शब्द आए जिनका मतलब जानने और उन्हें अपने जीवन में ढालने की जिज्ञासा के साथ चर्चा आरंभ हुई और नए साल की शुरुआत के साथ यह संकल्प भी आकार लेने लगा कि यदि मध्यप्रदेश को विकसित प्रांतों की पंक्ति में सबसे आगे लाना है तो जीवन को 'कैशलेस' बनाना ही होगा और लेनदेन के लिए 'डिजिटल-करेंसी' अपनाना ही होगी।**

# कैशलेस अभियान में सबसे आगे होगा मध्यप्रदेश

आठ नवंबर को देश में लागू की गई 'नोट-बदली' जिसे मीडिया ने 'नोटबंदी' का नाम दिया। अचानक नहीं थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सत्तारूढ़ वर्तमान सरकार पहले दिन से काले धन पर रोक लगाने की योजना पर काम कर रही थी यदि हम केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की श्रृंखला पर विचार करें तो बात आसानी से समझ आती है। सरकार ने सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति से बैंक खाता खोलने का आह्वान किया। इस आह्वान से कोई पच्चीस करोड़ नए खाते खोले गए इनमें जनधन खाते भी शामिल थे। फिर सभी नए पुराने खातों को आधार कार्ड से जोड़ने की योजना आयी।

तीसरे चरण में सरकार ने काले धन वालों से अपील की। उन्हें अवसर दिया कि वे अपना काला धन उजागर कर दें। योजना में कुछ प्रतिशत पेनॉल्टी के साथ धन उजागर करने का अवसर दिया गया। इस योजना में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने धन का ऐलान कर दिया फिर भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका पालन नहीं किया। नकली मुद्रा या काली कमाई का ज्यादातर उपयोग आतंकवाद, ड्रग माफिया, नक्सलवाद, अपराध और तस्करी की दुनिया में था। इसको रोकने के लिए नोट बदली का ऐलान हुआ। इसमें ईमानदार लोगों को कोई समस्या नहीं थी उन्हें परेशानी केवल नोट बदलने में हुई। लेकिन काला धन रखने वालों के नोट कागज के टुकड़े हो गए।

इस श्रृंखला में यह पांचवां कदम है कि जीवन 'कैश-लैश' हो, लेनदेन डिजीटल करेंसी में हो। यह कदम इसलिए भी जरूरी है कि भले ही बाजार में नए नोट आ गए। लेकिन वह खतरा बना हुआ है कि देश की आर्थिक हालात को कमजोर करने वाले लोग नई मुद्रा को भी काले धन में न बदल दें अथवा देश के दुश्मन इनकी भी नकली न छाप लें। शुरुआती दौर में ऐसे समाचार आए भी। एक तरफ लोग बैंक में नोट बदलने के लिए परेशान हो रहे थे तो दूसरी तरफ लोगों के पास करोड़ों रुपयों की नई करेंसी जब्त हुई। सरकार को इससे बचने के लिए मार्ग तलाशना था जो 'कैशलेस' और डिजिटल करेंसी के रूप में सामने आया। यानि एक ऐसा जीवन जिसमें नगदी का लेनदेन कम हो और मशीनों से लेनदेन हो, खरीददारी हो। ताकि एक-एक पैसे का रिकार्ड रहे और लोग अपनी तिजोरियों में नगदी का अम्बार न लगा सकें। रुपया जितना उजागर होगा उतना आमजन को फायदा होगा। इसीलिए प्रधानमंत्रीजी ने 'कैशलेस' से 'डिजिटल इंडिया' अभियान को एक आंदोलन के रूप में लेने का आह्वान किया है।

इस अभियान को यद्यपि पूरे देश ने स्वीकार किया है फिर भी सबसे तीव्रता और गंभीरता से मध्यप्रदेश ने लिया। एक तरफ जहां मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान ने बाकायदा बैठक लेकर प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से इस दिशा में काम करने की अपील की है वहीं उन्होंने अपने निवास पर बाकायदा 'डिजिटल लांचिंग' का कार्यक्रम आयोजित किया। 25 नवंबर को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जो उभयपक्षीय आयोजन किया था, उसमें

एक तरफ बैंक अधिकारियों और विशेषज्ञों ने यह समझाया कि इस प्रकार मशीनों से लेनदेन करना कितना आसान है, दूसरी तरफ बैंकों से अपील की गई कि वे अपने ग्राहकों को बाकायदा प्रशिक्षण दें।

देश और प्रदेश में व्याप्त इस 'डिजिटल' लेनदेन के वातावरण में तीव्रता लाने के लिए जहां विभिन्न बैंकों ने अपने सभी ग्राहकों और खाताधारियों के लिए एक विशेष प्रकार के कार्ड जारी किए हैं जिनके आधार पर लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकेंगे और बेच भी सकेंगे। विभिन्न बैंकिंग कंपनियां तो हैं ही इसके साथ ही भारत सरकार ने एक नया 'एप' जारी किया है जिसका नाम भीम रखा गया है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर संविधान बनाने वालों में से तो हैं ही। साथ ही उन्होंने अपने जीवन में समाज को आधुनिक बनने के लिए प्रेरित किया था। हालांकि उस जमाने में कैशलेस और डिजिटल-करेंसी जैसे शब्द या प्रणाली प्रचलन में नहीं थी लेकिन आज की दुनिया की दौड़ में शामिल होने के लिए यह जरूरी है। इसीलिए इस एप का नाम 'भीम एप' दिया गया है। अब यह उम्मीद की जा रही है कि मध्यप्रदेश के किसान, वनवासी, ग्रामवासी, श्रमिक तथा कमजोर वर्ग के तमाम

**मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर प्रदेश के विभिन्न विभागों ने जन सामान्य को प्रशिक्षण देने का अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए प्रशासनिक और बैंक अधिकारियों के साथ महाविद्यालय के विद्यार्थियों को बाकायदा 'मास्टर ट्रेनर' बनाया जा रहा है। अभियान तीन स्तर पर चलेगा। पहले स्तर पर सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों और उससे जुड़े लोगों को, दूसरे स्तर पर जन प्रतिनिधि जिनमें पंच-सरपंच तक शामिल होंगे तथा तीसरे स्तर पर जन सामान्य। राज्य सरकार का यह अभियान बैंकों के उस अभियान से अलग होगा जो वे अपने ग्राहकों को समझाने के लिए चलायेंगी।**

कैशलेस व्यवस्था के लिए

## 'भीम एप'

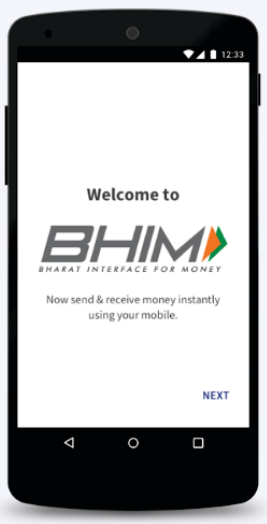


लोग जो अपना 'डेबिट-क्रेडिट' कार्ड नहीं रखते, अपने मोबाइल सेट के माध्यम से इस 'भीम एप' का उपयोग करेंगे तथा कैशलेस होकर डिजिटल इंडिया बनाने में मध्यप्रदेश को सबसे आगे रखेंगे।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर प्रदेश के विभिन्न विभागों ने जन सामान्य को प्रशिक्षण देने का बाकायदा अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए प्रशासनिक और बैंक अधिकारियों के साथ महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को 'मास्टर ट्रेनर' बनाया जा रहा है। अभियान तीन स्तर पर चलेगा। पहले स्तर पर सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों और उससे जुड़े लोगों को, दूसरे स्तर पर जनप्रतिनिधि जिनमें पंच-सरपंच तक शामिल होंगे तथा तीसरे स्तर पर जन सामान्य। राज्य सरकार का यह अभियान बैंकों के उस अभियान से अलग होगा जो वे अपने ग्राहकों को समझाने के लिए चलायेंगी।

### महिलाओं में जागरुकता

प्रदेश में महिलाओं में इन्टरनेट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 'ई-शक्ति' अभियान संचालित किया जा रहा है। इसमें दो चरणों में अब तक लगभग 3 लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। पहले चरण में गूगल के सहयोग से लगभग 1

लाख 60 हजार महिलाओं को इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूक किया गया। द्वितीय चरण में 1 लाख 52 हजार महिलाएँ लाभान्वित हुई।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर इन्फार्मेशन प्रमोशन टेक्नोलॉजी (मैप-आईटी) द्वारा संचालित 'ई-शक्ति' अभियान में सभी क्षेत्रों, नौकरी पेशा, घरेलू महिलाओं, नगरीय-ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ, स्कूल कॉलेज की छात्राएँ, विभिन्न कार्यालयों, आँगनवाड़ी केन्द्रों, अस्पताल आदि में कार्यरत महिला अधिकारी-कर्मचारी को इन्टरनेट और डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूक किया जाता है।

### खनिज विभाग की तैयारी

खनिज संसाधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया है कि 12 जिलों में ई-खनिज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास (ई-टीपी) सेवाएँ लागू की जा रही हैं। संबंधित जिला कार्यालय को सभी आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये हैं। ई-टीपी के माध्यम से ठेकेदारों द्वारा पूर्व में रायल्टी की राशि चालान से जमा करवाई जाती थी। अब ई-टीपी के जरिये ठेकेदारों के लिए रायल्टी की राशि ऑनलाइन जमा करने के लिए कैशलेस व्यवस्था लागू की गई है। इस प्रक्रिया से केन्द्र तथा राज्य सरकार की मंशानुसार कैशलेस की महत्वाकांक्षी योजना भी पूरी होगी।

विभाग द्वारा ई-खनिज पोर्टल के जरिये ऑनलाइन ई-टीपी की सेवाओं को एक अक्टूबर 2016 से जबलपुर जिले में सफलता से लागू किया गया है। इससे अभी तक शासन को ऑनलाइन 2 करोड़ 55 लाख 65 हजार 828 रुपये की राशि रॉयल्टी के रूप में प्राप्त हो चुकी है। साथ ही 19 हजार 839 ऑनलाइन ई-टीपी, ई-खनिज पोर्टल से जारी की जा चुकी है।

विभाग द्वारा अगले चरण में 12 जिले बालाघाट, सागर, टीकमगढ़, सतना, राजगढ़, बैतूल, इन्दौर, उज्जैन, नीमच, ग्वालियर, भिण्ड और होशंगाबाद में ऑनलाइन ई-टीपी सेवाओं को माह जनवरी, 2017 से लागू किया जा चुका है। इस संबंध में संचालनालय स्तर से आई-टी टीम द्वारा जिलों का दौरा कर खनिज विभाग के अधिकारियों एवं ठेकेदारों को ऑनलाइन ई-टीपी जारी करने संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

### सहकारिता विभाग की तैयारी

सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग सहकारी बैंकों में कैशलेस व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए सहकारी बैंकों में बैंकर्स चेक, डी.डी., आर.टी.जी.एस. और एन.ई.एफ.टी. पर लगने वाले शुल्क को समाप्त करने की घोषणा कर चुके हैं।

राज्यमंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विमुद्रीकरण के निर्णय के बाद देश ने कई मोर्चों पर बेहतर परिणाम हासिल किये हैं। काले धन पर रोक लगी है, आतंकवाद, नक्सलवाद रुका है और सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि दस साल का विकास एक साल में होने के मुहाने पर है। निश्चित ही कुछ दिक्कतें एक बड़े परिवर्तन के बाद आती हैं।

हमारे सामने कैशलेस व्यवस्था को लागू करने की चुनौती है। इसके लिए अगर हमने लोगों की मानसिकता और सोच बदल दी तो हमारे लिए कैशलेस व्यवस्था स्थापित करना आसान होगा। हम जिन लोगों के बीच यह काम कर रहे हैं वह किसान हो या ग्रामीण, सभी इसके लिये पूरी तरह तैयार हैं। कैशलेस प्रणाली की परंपरा हमारे यहाँ मोहन जोदड़ो, चाणक्य, मुगल और अंग्रेज राज के समय से ही रही है। हमें आज सिर्फ लोगों तक इस व्यवस्था को नए परिवर्तन और नए संदर्भ में ले जाना है।

### कृषि उपज मंडियों में व्यवस्था

मण्डियों में किसानों की सुविधा के लिये कैशलेस व्यवस्था अपनाने हेतु निरंतर प्रशिक्षण देने और जागरुकता अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं।

राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री राकेश श्रीवास्तव ने सभी अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक और अध्यक्ष एवं सचिव कृषि उपज मण्डी समितियों को यह निर्देश दिये हैं कि विमुद्रीकरण के बाद प्रदेश की मण्डियों में किसानों को सुगम भुगतान और वाणिज्य गतिविधियों को निर्बाध जारी रखने के विभिन्न कैशलेस उपायों के परिणामों को देखते हुए किसानों को इस संबंध में प्रशिक्षित किया जाये और उन्हें जागरूक बनाने का अभियान निरंतर रखा जाये। प्रबंध संचालक ने प्रशिक्षण के लिये बैंक, वित्तीय संस्थाओं और प्रबंधकीय विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लेने को कहा है। कैशलेस में होने वाले व्यवहार की संख्या और मात्रा का प्रगति प्रतिवेदन देने को भी कहा गया है।

● **रमेश शर्मा**

*(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभकार हैं)*

# कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिये सभी जिलों में चलेगा अभियान

मध्यप्रदेश के सभी जिलों में कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने का अभियान चलेगा। इसके लिये सभी जिलों में जन-जागरण अभियान चलाया जायेगा। काले धन की अर्थ-व्यवस्था को समाप्त करने का यह एकमात्र उपाय है। यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी कलेक्टरों को दिये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से लोगों को कैशलेस लेनदेन के बारे में जागरूक और प्रशिक्षित किया जायेगा। अभियान के तहत जन-जागरण, प्रशिक्षण और कैशलेस लेनदेन के लिये आवश्यक व्यवस्थाएँ तैयार की जायेंगी। सभी जिलों में कलेक्टर इस अभियान का नेतृत्व करें। इसके माध्यम से टैक्स आधार बढ़ेगा और गड़बड़ियाँ समाप्त होंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किये गये इस अभियान में मध्यप्रदेश आगे रहेगा। सभी जिलों में लक्ष्य तय कर काम किया जायेगा। विद्यार्थियों को इस अभियान के साथ मास्टर ट्रेनर बनायें।

व्यापारी, अधिकारी-कर्मचारी और आम जनता को कैशलेस लेनदेन के लिये प्रशिक्षित किया जाये। जिला प्रशासन जन-धन योजना के सभी खाताधारकों को रूपे कार्ड वितरण के लिये शिविर लगायें। शिविरों में पंच-सरपंच और ग्रामीणों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। असंगठित कामगारों के बैंक खाते खुलवाने और रूपे कार्ड वितरित करने के शिविर लगायें। व्यापारियों और किसानों के लिये मंडियों में प्रशिक्षण शिविर लगायें। सभी शासकीय भुगतान ऑनलाइन किये जायें। व्यापारियों की दुकानों में पीओएस मशीन

- **अभियान में बैंकों द्वारा बाँटे जाएंगे लगभग 40 से 50 लाख डेबिट (रूपे) कार्ड।**
- **नीति आयोग द्वारा कैशलेस लेन-देन के लिए बेहतर काम करने वाले दस श्रेष्ठ जिले होंगे पुरस्कृत।**

लगाने का अभियान चलायें। मोबाइल के माध्यम से पेमेंट करने के संबंध में जागरुकता अभियान चलायें। सभी एटीएम में नगदी की उपलब्धता की मॉनीटरिंग करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों, खाद-बीज और दवाइयों की दुकानों पर पीओएस मशीनें लगवायें। स्कूलों में फीस के भुगतान के लिये, निर्माण कार्यों में मजदूरी का भुगतान, राज्य शासन द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवाओं पर शुल्क का भुगतान, धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर पीओएस मशीनें लगायी जायें। सभी कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों का प्रशिक्षण करवायें। नीति आयोग की प्रोत्साहन योजना का लाभ उठायें।

### राज्य सरकार की बैंक प्रायोजित योजनाओं की ऑनलाइन मॉनीटरिंग

प्रदेश में राज्य सरकार की बैंकों के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं की मॉनीटरिंग की ऑनलाइन व्यवस्था की गयी है। इसके लिये वित्त विभाग के संस्थागत वित्त ने SAMAST (Software Application for Monitoring Achievement of Schemes Target) सॉफ्टवेयर तैयार किया है। सॉफ्टवेयर के जरिये संचालनालय संस्थागत वित्त द्वारा मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना, युवा उद्यमी, आवास, ग्रामीण एवं शहरी आजीविका पर केन्द्रित योजना, कृषि विभाग की कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना, विद्या सागर गोवर्धन, पशुपालन विभाग की हितग्राही योजना और बुनकर मुद्रा योजना जैसी 38 योजनाओं का जिलेवार लक्ष्य राज्य-स्तरीय कार्यालय द्वारा दर्ज किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

# कैशलेस मध्यप्रदेश एक आर्थिक क्रांति

शास्त्र-वचन है **'तमसो मा ज्योतिर्गमय'** अर्थात अंधकार से उजाले की आरे चलें। कैशलेस अर्थव्यवस्था की मुहिम रोजमर्रा के लेनदेन में एक ऐसे रोशन-ख्याल का सूत्रपात है जो आज़ादी के बाद, सत्तर साल में पहली बार अमल में लाया जा रहा है। ई-मेल नीति जारी करने वाला मध्यप्रदेश प्रथम राज्य है, जहाँ दूरदराज की ग्राम पंचायतें भी ऑनलाइन हैं। यहाँ बिजली और इंटरनेट की पूरी सुविधा है। अतः प्रधानमंत्री की कैशलेस अर्थव्यवस्था लागू करने के लिए आवश्यक मूलाधार-संरचना के साथ-साथ कैशलेस लेनदेन के पक्ष में जनमत पहले से मौजूद है।

कैशलेस लेनदेन का मतलब है बिना नोटों के बंडल का बोझ लिए अपने मोबाइल फोन से, डेबिट-क्रेडिट कार्ड से सारे भुगतान करना और प्राप्त करना। आज लगभग सभी के पास आधार कार्ड हैं जो बैंक-खातों से जुड़े हैं। सरकार ने जनता को मिलने वाले सभी सरकारी भुगतान सीधे बैंक-खातों में जाने की व्यवस्था पहले से कर दी है। अब नोटबंदी के बाद अपेक्षा है कि आम जनता अपना रोजमर्रा का लेनदेन भी नकदी के बदले ई-पद्धति से करे। अक्सर यह शिकायत रहती थी कि नगद भुगतान में भ्रष्टाचार होता था जबकि ई-पद्धति से सरकारी भुगतानों में नकदी का आदान-प्रदान होता ही नहीं है, बल्कि रकम एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाती है। इसी प्रकार व्यक्तिगत लेनदेन में भी नकदी-रहित व्यवस्था नोटों से सुखद छुटकारा है। मोबाइल का बटन दबाया या प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट-कार्ड, डेबिट कार्ड का उपयोग किया और रकम स्वतः एक खाते से दूसरे खाते में चली जाती है।

आज जिन लोगों की आयु अस्सी साल या उससे अधिक है उन्हें याद होगा कि पराधीन भारत में अधिकतर लोग नगद रुपया जिसे कल्दार कहते थे, रखना पसंद करते थे। यद्यपि वह मंदी का जमाना था और दस-

***कैशलेस लेनदेन का मतलब है बिना नोटों के बंडल का बोझ लिए अपने मोबाइल फोन से, डेबिट-क्रेडिट कार्ड से सारे भुगतान करना और प्राप्त करना। आज लगभग सभी के पास आधार कार्ड हैं जो बैंक-खातों से जुड़े हैं। सरकार ने जनता को मिलने वाले सभी सरकारी भुगतान सीधे बैंक-खातों में जाने की व्यवस्था पहले से कर दी है। अब नोटबंदी के बाद अपेक्षा है कि आम जनता अपना रोजमर्रा का लेनदेन भी नकदी के बदले ई-पद्धति से करे। ई-पद्धति से सरकारी भुगतानों में नकदी का आदान-प्रदान होता ही नहीं है, बल्कि रकम एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाती है। इसी प्रकार व्यक्तिगत लेनदेन में भी नकदी-रहित व्यवस्था नोटों से सुखद छुटकारा है। मोबाइल का बटन दबाया या प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट-कार्ड डेबिट कार्ड का उपयोग किया और रकम स्वतः एक खाते से दूसरे खाते में चली जाती है।***

बीस रुपये में काम चल जाता था। लेकिन कल्पना करें कि हजार रुपये की नगदी ले जाना कितना वजनी और कठिन काम रहा होगा। फिर कागज के नोट आए और आर्थिक लेनदेन हल्का हो गया। एक समय तो ऐसा था जब लोग अपना पैसा अपने ही पास रखते थे। फिर बैंकिंग-व्यवस्था आई और लोगों को अपना पैसा बैंकों में रखना ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक लगा। क्या बैंकिंग और कागज-करेंसी का शुरू में विरोध नहीं हुआ? जरूर हुआ, लोग सवाल करते थे और शंका करते थे कि कहां चांदी का रुपया और कहां कागज का नोट। इसी प्रकार बैंकों में पैसा रखने में भी लोगों को संकोच और अविश्वास था कि कहीं सरकार हमारा पैसा ही न हड़प ले। क्योंकि बैंक तो सरकारी है। लेकिन धीरे-धीरे कल्दार की जगह कागज के नोट ने ले ली और घर में पैसा रखने का विकल्प बन गया बैंक।

यह उदाहरण देने का उद्देश्य यह है कि जब भी कोई नई व्यवस्था आती है तो शुरू में उसका बहुत स्वागत नहीं होता किन्तु धीरे-धीरे लोगों की समझ में आने लगता है कि बदलाव हमारे हित में है। कैशलेस-व्यवस्था को लेकर भी प्रधानमंत्री यही तो कह रहे हैं कि देश बदल रहा है। मध्यप्रदेश तो पहले से ही ई-प्रशासन की तरफ बढ़ चुका था। सब जानते हैं कि समाज में तीन प्रकार लोग होते हैं- एक जो किसी भी नई व्यवस्था को तुरंत अपना लेते हैं। दो - जो दूसरे को देखकर कुछ समय बाद अपना लेते हैं। तीन - वे लोग जो उदासीन हैं लेकिन यह सोच कर लाइन में लग जाते हैं कि कहीं हम पिछड़ न जाएं। प्रधानमंत्री ने जो पचास दिन नोटबंदी के प्रसंग में माँगे थे, वे दिन यथार्थ में कैशलेस-व्यवस्था की प्रशिक्षण-अवधि सिद्ध हुए हैं मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कैशलेस-व्यवस्था भी एक अच्छे-खासे लघु उद्योग को जन्म दे सकती है। एक सज्जन ने मुझे एक छोटा सा सफेद चिप बताया जिसे मोबाइल में लगाकर

स्वेपिंग मशीन का काम लिया जा सकता है। उनका कहना था कि इसका सॉफ्टवेयर तैयार करना होगा। यथार्थतः बड़े से बड़े आविष्कार का विचार भी सर्वप्रथम किसी मानव मस्तिष्क में ही तो आता है। आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है। हम शीघ्र ही देखेंगे कि कैशलेस-व्यवस्था को जन-जन तक पहुँचाने के लिए कितने आविष्कार होते हैं और उनकी वजह से कितने लघु उद्योग पनपते हैं जो रोजगार के नये साधन बनेंगे।

कैशलेस-व्यवस्था विदेशों में पहले से लागू है। अपने देश में भी जब लोग विदेश-यात्रा पर जाते हैं तो नगदी ले जाने के स्थान पर क्रेडिट कार्ड ले जाते हैं। मॉल और बिग बाजार में भी ज्यादातर लेनदेन कैशलेस ही होता है। नगरों में रहने वालों को भ्रम है कि ग्रामीण लोग उनसे कम समझदार हैं। वास्तव में ग्रामीण-भारत का सामान्य ज्ञान जिसे ठेठ कहते हैं महानगरों के निवासियों से बहुत अधिक होता है। व्यवहारिक व्यवस्थाएँ तुरन्त अपना ली जाती हैं। आज गाँव-गाँव में दुपहिया और चार पहिया वाहन हैं। नई पीढ़ी में जींस लोकप्रिय है। ब्रांडेड वस्तुओं की खरीददारी बहुत बढ़ी है। मोबाइल तो हर एक की जरूरत बन गया है। वास्तव में पुरानी पीढ़ी की तुलना में नई पीढ़ी कहीं बहुत अधिक इलेक्ट्रॉनिक शिक्षित है। छोटे बच्चे भी मोबाइल और लेपटॉप लिए घूम रहे हैं।

कैशलेस पहल समाज में लोकप्रिय होती जा रही है। इसका विस्तार हो रहा है बचपन में हमें जादूगर का वह खेल बहुत पसंद आता था जब वह चुटकी बजाकर पैसे या मिठाई निकाल देता था। अब हम इलेक्ट्रॉनिक युग में हैं। एक बटन मात्र दबाने से सारी खरीद-फरोख्त अब तिलिस्म न होकर हकीकत हो गई है। हमारी कृषि उपज मंडियों में 95 प्रतिशत काम कैशलेस है। सरकार ने कैशलेस-व्यवस्था का प्रचलन बढ़ाने, उसे आसान और लोकप्रिय बनाने के लिए केन्द्र और प्रदेश के स्तर पर बहुत से कदम उठाए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को एक करोड़ सड़सठ लाख रूपे कार्ड जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के लगभग बारह हजार ग्रामीणों को सब-सर्विस क्षेत्रों में 'बैंक सखी' और 'बैंक मित्रों' के माध्यम से भुगतान प्राप्ति की व्यवस्था है। एमपी-मोबाइल एप के द्वारा 150 से अधिक नागरिक सेवाएं दी जा रही हैं। सारे सरकारी भुगतान जिसमें छात्रवृत्तियां भी शामिल हैं, ऑनलाइन हैं, डिजिटल जाति-प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं।

प्रदेश में पीओएस मशीनें वेट तथा प्रदेश कर से मुक्त हैं। नागरिक सुविधा केन्द्र के रूप में 23 हजार एम.पी.ऑनलाइन कियोस्क, 14 हजार कॉमन सर्विस सेन्टर और 413 लोक सेवा केन्द्र संचालित हैं। केन्द्र सरकार ने भी ऐसी बहुत सी योजनाओं की घोषणा की है। जिनके तहत डिजिटल भुगतान यानी कैशलेस-पेमेन्ट करने पर छूट दी जाती है और बहुत से इनाम भी दिए जाते हैं। कैशलेस लेनदेन एक आर्थिक क्रांति है। जिसका प्रसार लोक रुचि और जनसहयोग के कारण व्यापक और विस्तृत रूप में हो रहा है।

● **घनश्याम सक्सेना**
*(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)*

# कैशलेस अर्थव्यवस्था के लिए प्रभावी पहल लकी ग्राहक योजना और डिजि-धन योजना

केन्द्र सरकार ने कैशलेस अर्थव्यस्था को बढ़ावा देने के लिए लकी ग्राहक योजना और डिजिधन योजना शुरू की है। यह योजना 25 दिसम्बर से शुरू होकर 14 अप्रैल तक चलेगी। इसके तहत डिजिटल लेनदेन करने वालों को करोड़ों के इनाम दिए जाएंगे। डिजि-धन व्यापार योजना और लकी ग्राहक योजना के तहत 100 दिन तक रोज 15 हजार लोगों को एक-एक हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। लकी ग्राहक योजना आम जन के लिए और डिजि-धन योजना व्यापारियों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हैं। लकी ग्राहक योजना 50 रुपये से 3000 रुपये तक के लेनदेन के लिए है। पुरस्कारों का चयन रैंडम तरीके से सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। एक ग्राहक को अधिकतम तीन बार पुरस्कार मिल सकता है। पुरस्कार राशि सीधे ग्राहक के खाते में पहुंच जाएगी।

**लकी ग्राहक योजना**

लकी ग्राहक योजना में डिजिटल लेनदेन करने वाले आम लोगों में से लकी-ड्रा के द्वारा अगले 100 दिनों तक प्रतिदिन 15 हजार विजेताओं की घोषणा होगी। जिसमें हर एक को 1 हजार रुपये दिए जाएंगे। यह योजना 25 दिसम्बर से शुरू होकर 14 अप्रैल तक चलेगी।

**डिजि-धन योजना**

डिजि-धन योजना के तहत व्यापारियों को हर हफ्ते 7 हजार का इनाम दिया जाएगा। सर्वाधिक पुरस्कार राशि 50 हजार रुपये की होगी। योजना के तहत मेगा पुरस्कारों की घोषणा 14 अप्रैल को होगी। जिसमें पहला पुरस्कार एक करोड़ रुपये, दूसरा पुरस्कार 50 लाख रुपये तथा तीसरा पुरस्कार 25 लाख रुपये का होगा।

● **प्रस्तुति : रीमा राय**

# नोटबंदी के पचास दिन बाद
## सामान्य होती व्यवस्था की ओर इशारा

**बीते 8 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की। हालांकि मोदी जी ने इस घोषणा के साथ ही बहस, तुलना और नफे-नुकसान के एक नए दौर का भी आगाज कर दिया। कुल मिलाकर 50 दिन गुजरने के बाद अगर ग़ौर करें तो हालात कहीं बेहतर तो कहीं थोड़े कम बेहतर नजर आते हैं। शहरों के मुकाबले ग्रामीण भारत के हालात तकरीबन सभी मामलों में अलग होते हैं। इसीलिए नोटबंदी के मसले की वास्तविक तह तक जाने के लिए पंचायिका ने सरपंचों और जनपद पंचायत अध्यक्षों से हालात जानने की कोशिश की। मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से शहला फ़ाइज़ की एक रिपोर्ट -**

***शोभा रघुवंशी***

*अध्यक्ष, जनपद पंचायत, गुना*

शोभा जी का कहना है- यह कहना गलत नहीं होगा कि नोटबंदी के बाद शुरुआती दिनों में थोड़ी गहमा-गहमी थी। जैसे-जैसे स्थिति ठीक होती गई, लोगों ने राहत की सांस ली। शुरुआती भीड़ के बाद अब स्थिति सामान्य है और बैंकों में जरूरत के अनुसार नोट उपलब्ध हैं। समस्या तो अब कुछ भी नहीं है। वह कहती हैं, किसान खुश हैं, मंडी में लेनदेन में उन्हें आसानी हुई है। पहले सामग्री बेचने, बिजली-पानी का बिल जमा करने के बाद कई बार, बाद में रसीद देने की बात कह दी जाती थी। लेकिन अब सारा पैमेंट चेक के जरिए होता है। चूंकि अब मंडी में भी चेक से लेन-देन होता है, तो रास्ते में रुपयों पर होने वाली लूटपाट की समस्या पर भी लगाम लग गई है। वरना गल्ला बेचकर कैश घर लाने में रास्ते में भी खतरा था। हमारे क्षेत्र में समस्या इसलिए भी नहीं हुई, क्योंकि 99 फीसदी लोगों के बैंक खाते थे। अपनी बात को खत्म करते हुए शोभा ने कहा मुझे लगता है कि नोटबंदी के फायदे आने वाले दो-चार वर्ष में ज्यादा नजर आएंगे।

## हम भी करेंगे कैशलेस ट्रांजेक्सन

मैंने बैंक से एटीएम ले लिया है। हम अधिकांश लेनदेन कैशलेस ट्रांजेक्सन के माध्यम से करेंगे। यह बात सीहोर जिले के ग्राम दुबड़िया खेड़ी निवासी श्री लालाराम और कैलाश वर्मा सहित अन्य ग्रामीण-जन और कॉलेज के विद्यार्थियों ने कही। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गयी कैशलेस योजना को दिल से स्वीकार करने की बात भी कही। गौरतलब है कि प्रदेश में पहले से ही इस दिशा में प्रभावी कदम उठाये जा चुके हैं। सभी अधिकारियों-कर्मचारियों का वेतन ऑनलाइन उनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इसी तरह छात्रवृत्ति और मजदूरी का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा रहा है। किसानों की सुविधा के लिए 76 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये जा चुके हैं।

**स्मार्ट फोन :** डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और विद्यार्थियों को सभी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के लिये स्मार्ट-फोन योजना शुरू की गयी है। अभी तक लगभग एक लाख 10 हजार विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन वितरित किये जा चुके हैं। स्मार्ट फोन में कॉलेज मैट एप इनबिल्ट है। स्मार्ट फोन प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सूची उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर भी देखी जा सकती है।

***बाबूलाल नीनामा***

*सरपंच, जेठाना, रतलाम*

शुरू में हमें ज्यादा परेशानी थी। दरअसल, हमारे क्षेत्र में बैंक नहीं हैं, इसलिए बैंक से पैसे निकालने के लिए कालूखेड़ा या जावरा जाना पड़ता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि लंबी कतारों के बाद भी या तो कैश खत्म हो गया, या बैंक का समय पूरा हो गया। हालांकि अब हालात बेहतर हैं और बैंकों के हालात भी सामान्य की तरफ हो चले हैं। चूंकि खेती किसानी से जुड़ा सारा लेन-देन अब चेक के जरिए हो रहा है तो लोग राहत की सांस ले रहे हैं। उन्हें यह भरोसा है कि न तो अब उनके पैसे में सेंध लगेगी और न ही वह गलत हाथों में जाएगा।

***भक्ति शर्मा***

*सरपंच, बरखेड़ी अबदुल्ला, हुजूर*

नोटबंदी से पहले ही हमने एक अच्छी पहल अपने क्षेत्र में कर दी थी। लेकिन उसका फायदा नोटबंदी होने के बाद बेहद सकारात्मक रूप में सामने आया। यह पहल थी, जनधन योजना के तहत तकरीबन सारे गांव वालों के बैंक खाते खुलवाने की। इससे यह फायदा हुआ कि नोटबंदी की घोषणा के बाद लोगों के घर में रखा सारा कैश तुरंत बैंक में पहुंच गया। अब लोग समय-समय पर बैंक से जरूरत के अनुसार कैश निकाल रहे हैं। भक्ति को लगता है, नोटबंदी से यह भी पता चला कि गांव में कितना पैसा है और विकासशील अर्थव्यवस्था के मद्देनजर यह सशक्त कदम है।। भक्ति ने अपने क्षेत्र के बुजुर्ग रहवासियों को खुद की गाड़ी से बैंक ले जाने की पहल भी की। जिससे उन्हें सहूलियत हुई।

***भवानी शंकर***

*सरपंच, लालाखेड़ी, सीहोर*

लीलाखेड़ी के सरपंच भवानी शंकर मोदी सरकार के इस कदम को बहुत अच्छा मानते हैं। जब उनके क्षेत्र की बात की गई तो उनका कहना था- किसान खुश हैं, क्योंकि उनके पैसों का रिकॉर्ड है। यानी कब किसको दिया, किससे लिया का रिकॉर्ड रखना आसान है। जब नोटबंदी की खबर आई, तो भवानी ने अपने क्षेत्र के लोगों को न हड़बड़ाने की समझाइश दी, साथ ही यह भी कहा कि किसी की बातों में आकर रुपयों के लेन-देन से बचें। उन्होंने खुद अपने पास रखे पुराने नोटों से डीजल भरवा लिया और इस डीजल को खेत में जनरेटर चलाने के लिए उपयोग में लिया। उनका मानना है कि मोदीजी की इस घोषणा से व्यापारियों के पास छुपा काला धन बाहर आएगा और ईमानदारों को फायदा मिलेगा।

***सीमाबाई मुकाती***

*सरपंच, खटसूर, शाजापुर*

हमारे यहां छोटे मजदूर प्रभावित हैं। बैंक के छोटे सेंटर होने के कारण बैंकों में हमेशा पैसा मौजूद नहीं रहता है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हालात बेहतर हुए हैं, उससे उम्मीद है कि स्थिति बेहतर ही होगी। जहां तक बात है, बुआई की सामग्री या फर्टिलाइजर खरीदने की तो यह काम कुछ दिन की उधारी पर भी हो रहा है। उधारी पर लेन-देन करना यूं भी ग्रामीण क्षेत्र का पुराना तरीका रहा है।

***लोकनाथ सिंह***

*सरपंच, मलियागुड़ा, उमरिया*

हमारे यहां नोटबंदी का कोई व्यापक असर नहीं हुआ है। इसकी दो वजह हैं, यह आदिवासी इलाका है। इसलिए लोगों में कम साधनों में गुजर करने की आदत शुरू से है। यहां तीन तरह के लोग रहते हैं। पहले वे जो संजय गांधी ताप परियोजना में काम करते हैं, दूसरे बिजली विभाग में ठेके पर काम करते हैं। तीसरा वह तबका है, जो खेती-बाड़ी करता है और इसकी संख्या काफी कम है। पहले दो तरह के लोगों को पैसा किसी सोर्स के जरिए मिल रहा था, इसलिए उन पर सीधा असर नहीं हुआ। तीसरे तबके का ही बाजार से सीधा वास्ता था, इसलिए इनके लिए ज्यादा कोशिश की गई। लोकनाथ सिंह को उम्मीद है कि मोदीजी का यह कदम भावी पीढ़ी के लिए बेहतर साबित होगा।

(लेखिका पत्रकार हैं)

## गाँव में ही मिलेगी ऑनलाइन सुविधा, होंगे कई काम

अब ग्रामीणों को सभी ऑनलाइन सुविधाएं एक ही जगह कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से दी जायेगी। इसी पोर्टल पर ग्रामीणों को पेनकार्ड, आधार कार्ड, टी.वी. रिचार्ज, अन्य प्रमाण पत्रों को बनवाने की सुविधा दी जायेगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों को कम्प्यूटर कोर्स, टेली फिल्म, एनिमेशन कोर्स, सहित अन्य विश्वविद्यालयों के ऑनलाइन आवेदन भी भरे जा सकेंगे। भारत सरकार ने ई-गवर्नेंस में सीएससी इंडिया लिमिटेड कंपनी का गठन किया है। इसके माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में सीएससी पोर्टल जारी किया है। इसमें 52 योजनओं और अन्य सुविधाओं को ऑनलाइन किया जायेगा। एमपी ऑनलाइन सेवा को भी जोड़ा गया है।

# डिजिटल लेनदेन से बढ़ेगी पारदर्शिता

आज का युग डिजिटल का युग है। अब जेब में पैसे लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक कार्ड आपके कैश रखने की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यही नहीं पैसे चोरी या गुम जाने का डर भी नहीं रहता। देश में एक नई क्रांति आई है, जिसे 'नकदी रहित भारत' या 'कैशलेस भारत' की संज्ञा दी गई है। इस क्रांति ने लोगों को नकदी में लेनदेन करने की अपनी मानसिकता में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया है। इस कदम ने धीरे-धीरे लोगों के कैश पर आश्रित रहने की प्रवृत्ति में गिरावट लाई है और देश में नकदी रहित लेन-देन की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। कैशलेस अर्थव्यवस्था ने अधिक से अधिक पारदर्शिता, मौद्रिक लेनदेन में आसानी और सुविधा का मार्ग प्रशस्त किया है।

शुरुआती कठिनाइयों के बाद लोग अब डिजिटल माध्यमों द्वारा भुगतान को भी सुरक्षित एवं सुविधाजनक महसूस करने लगे हैं। इसके अलावा, नकदी रहित अर्थव्यस्था को बढ़ावा देने के लिए एवं लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने कई लाभकारी घोषणाएं भी की हैं। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के कई अन्य देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना में नकदी पर अधिक निर्भर है, सरकार का उच्च मूल्य वर्ग की मुद्रा का अवमूल्यन का निर्णय वास्तव में एक साहसिक कदम था। अब इस कदम का लाभ प्राप्त होना शुरू हो गया है। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों ने डिजिटल मुद्रा में लेनदेन शुरू कर दिया है।

भारत धीरे-धीरे नकदी केंद्रित अर्थव्यवस्था से नकदी रहित अर्थव्यवस्था (कैशलेश इकॉनामी) की तरफ लगातार बढ़ रहा है। डिजिटल लेनदेन का पता आसानी से चल जाता है जिस वजह से सबके लिए करों का भुगतान करना अनिवार्य हो जाता है। पूरा देश लेनदेन की प्रक्रिया के आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रहा है और इस वजह से ई-भुगतान सेवाओं में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। व्यापारियों की एक बड़ी संख्या और यहां तक कि सड़क के किनारे सामान बेचने वाले फुटकर विक्रेताओं ने भी अब इलेक्ट्रॉनिक भुगतान स्वीकार करना शुरू कर दिया है और इस तरह से लोगों ने तेजी से नकदी रहित लेन-देन प्रणाली को अपनाना शुरू कर दिया है।

**मध्यप्रदेश में डिजि-धन मेला**

कैशलेश लेनदेन को बढ़ावा देने के लिये मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रदेश में डिजि-धन मेलों की श्रृंखला की शुरुआत भोपाल से की गई है। इसी कड़ी में भोपाल के बाद इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और देवास में कार्यक्रम होंगे। भोपाल के डिजि-धन मेले के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री अनंत कुमार ने कहा की मध्यप्रदेश जन-कल्याणकारी योजनाओं का तीर्थ बन चुका है। आज 95 प्रतिशत मध्यप्रदेश कैशलेस हो चुका है और अन्य राज्यों के लिये रोल मॉडल बन गया है। अब प्रदेश आई.टी. स्टेट बन गया है। यही नहीं श्री अनंत कुमार ने मध्यप्रदेश में 200 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केन्द्र खोलने की घोषणा भी की।

केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने डिजि-धन योजना को अनूठी योजना बताते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री का निर्णय क्रांतिकारी है इस निर्णय का गरीब और ईमानदार लोगों ने स्वागत किया है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री अब वैश्विक नेता बन चुके हैं। देशभक्ति के लिये जज्बा रखने वाले और लोक-कल्याण के लिये सोचने वाले प्रधानमंत्री ही नोटबंदी जैसा ऐतिहासिक निर्णय ले सकते हैं। कैशलेस लेनदेन से भ्रष्टाचार की संभावना खत्म की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की मण्डियों में 95 प्रतिशत लेनदेन कैशलेस हो गया है। पैसे सीधे किसानों के खातों में चले जाते हैं और कैशलेस लेनदेन से सरकार को टैक्स भी मिल जाता है, जिसका उपयोग गरीबों के लिये योजनाएँ बनाने में होता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक हर जरूरतमंद के पास आवास सुविधा होगी।

पीओएस मशीन पर टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री श्री मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान में भागीदारी करें और देश की अर्थ-व्यवस्था को गतिशील बनायें। मुख्यमंत्री ने कैशलेस लेनदेन करने का संकल्प भी दिलवाया। कार्यक्रम में पूरी तरह से कैशलेस हो चुकी संस्थाओं को सम्मानित भी किया गया।

इस अवसर पर सहकारिता विभाग ने डिजिटल इंडिया अभियान में योगदान देते हुए

देश के पहले ई-वॉलेट "सहकार बटुआ" का शुभारंभ भी किया गया। भोपाल को-ऑपरेटिव बैंक को लेनदेन की सुविधा देने के लिये एसएमएस आधारित प्लेटफार्म का भी शुभारंभ किया गया। मेले की खास बात यह भी रही कि इस डिजि मेले में श्री अनंत कुमार ने यूपीआई में लकी ग्राहक योजना की लॉटरी निकाले, जिसमें 7 बैंकों के 286 ग्राहक विजयी रहे। आधार भुगतान व्यवस्था में केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री श्री फग्गनसिंह कुलस्ते ने लकी ड्रॉ निकालें, जिसमें 39 बैंकों के 506 ग्राहक विजेता रहे। मुख्यमंत्री ने रूपे कार्ड लकी ड्रॉ निकाला, जिसमें 266 बैंकों के 14 हजार 198 ग्राहक विजयी रहे।

डिजि मेले में क्रेडिट, डेबिट कार्डों, मोबाइल फोन अनुप्रयोगों, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई), भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) एप, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) या ई-पर्स के तहत विभिन्न अनुप्रयोगों के द्वारा नकदी रहित भारत (कैशलेस भारत) के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपेक्षित प्रगति दर्ज की गई। इस डिजि मेले में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, बैंकों, दूरसंचार कंपनियों, मोबाइल बटुआ ऑपरेटरों, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, विक्रेताओं, व्यापारियों, सहकारी समितियों, कृषि उपज विपणन समितियों ने भागीदारी की। यही नहीं कृषक, उपभोक्ता तथा व्यापारियों ने बड़ी संख्या में भाग भी लिया। मेले में लगभग 40 स्टॉलों के माध्यम से लोगों को कैशलेस भुगतान की जानकारी दी गई।

### मेले में लगे स्टॉल

बीएसएनएल के स्टॉल में टेक्निकल असिस्टेन्ट भंवरलाल वर्मा ने बताया कि मेले में विजिट करने आये लोगों को कैशलेस भुगतान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि कैशलेस भुगतान से आप पैसे व समय दोनों बचा सकते हैं। उन्होंने बताया कि मेले में लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, बिल भुगतान, सिम की उपलब्धता, वाई-फाई व कैशलेस भुगतान की जानकारी भी दी गई।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वरिष्ठ प्रबंधक श्री दीपक धनधराटे ने कहा कि मेले में आए लोगों को हमने भीम एप, यूपीआई, मोबाइल ई-पेमेन्ट और रूपे कार्ड के उपयोग के बारे में जानकारी दी। यही नहीं उन्हें यह भी बताया गया कि यह पूर्णतः सुरक्षित भी है।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के श्री महेश चन्द्र शर्मा ने बताया कि हमने अपने उत्पादनों के साथ यहाँ आये हुए 50 से ज्यादा लोगों को कैशलेस भुगतान की जानकारी दी। हमने आईडीएफसी के माध्यम से कई लोगों का भुगतान भी स्वीकार किया।

भारत पेट्रोलियम की और से पूजा तिवारी ने लोगों को समझाइश देते हुए कहा कि आने वाला समय ऑनलाइन भुगतान का है। इसलिए अभी से सभी को अपडेट होना होगा। उन्होंने अपने नए उत्पाद 5 किलो के मिनी गैस सिलेंडर की खासियत के बारे में भी जानकारी दी। गो ग्रीन जैसे सन्देश वाले अभियान को भी यहां बताया गया।

मध्यप्रदेश के आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा लगाया गया कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के स्टॉल पर लोगों के आधार कार्ड भी बनाये गये। श्री कमलेश वंजारिया ने बताया कि 300 से ज्यादा लोगों ने एनरॉलमेंट कराया है। इनमें से ज्यादातर अपना पता परिवर्तन कराने पहुँचे थे। कुछ को नाम व पीवीसी कार्ड प्रिंट कराने थे।

पंजाब नेशनल बैंक के एम.सी. रुस्तगी ने बताया की हमने लोगों को प्री-पेड सुविधा कार्ड जिसे पीएम ने भी बढ़ावा देने की बात कही है के बारे में जानकारी दी। ताकि लोगों में इसके प्रति जागरुकता बढ़े। हमने पीएनबी किट्टी और ई-वॉलेट एप की खूबियों के बारे में बताया। इनके उपयोग से रिस्क फैक्टर कम हो जाता है।

### नकदी रहित भारत का महत्व

1. बिना नकदी के लेनदेन की सुविधा, नकदी लाने और ले जाने से जुड़ी हुई सभी परेशानियों से राहत पहुंचाता है।
2. यह वर्तमान दौर में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने जैसा है क्योंकि पूरे विश्व में कई देशों में अब

## मेले में आए लोगों ने कहा

नकदी रहित अर्थव्यवस्था (कैशलेश इकॉनामी) लागू करने में कठिनाईयां आना तो स्वाभाविक है, लेकिन इस दिशा में प्रयास शुरू करना जरूरी था। आज डिजिटल माध्यम से मौद्रिक लेन-देन के प्रति लोगों की मानसिकता में एक बड़ा परिवर्तन आया है।

**- अमित शर्मा**

कैशलेस मोड के माध्यम से कर संग्रह आसान हो जाता है और यह आर्थिक विकास की गति को तेज करता है, क्योंकि सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास एवं लोगों के समग्र कल्याण पर खर्च करना आसान हो जाता है।

**- महेंद्र सहारे**

लोग जान गए हैं कि डिजिटल माध्यम भी सुरक्षित, आसान, सुविधाजनक एवं पारदर्शी है और नकदी रहित भारत में काले धन या नकली मुद्रा की अब कोई गुंजाइश नहीं है।

**- कमलेश सिंह**

आखिरकार लोगों ने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के अन्य चैनलों के रूप में प्लास्टिक मुद्रा में विश्वास करना शुरू कर दिया है। लोग तो अब 50 रुपए का भुगतान भी डिजिटल माध्यमों की सहायता से कर रहे हैं।

**- अमोल कुमार**

मोबाइल पर इन्टरनेट की उपलब्धता ने कई चीजें आसान कर दी हैं। पर्याप्त नकदी की अनुपलब्धता के कारण ऑनलाइन बैंकिंग बाजार को प्रमुखता मिली है। इसके अलावा, भुगतान करने के लिए ई-कॉमर्स माध्यम भी लोकप्रिय हुआ है।

**- अंकिता सोनी**

# सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया डिजिटल बैंकिंग कार्यशाला का आयोजन

भारत सरकार द्वारा डिजिटल बैंकिंग एवं कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए आम जनता को जागरूक करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। इसी क्रम में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डिटिजल बैंकिंग पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों को डिजिटल बैंकिंग के लिए जागरूक करना है जिससे वे डिजिटल मोड अपनाकर अपने आर्थिक लेन-देन डिजिटल माध्यम से कर आम जनता को भी जागरूक कर सकें।

इस अवसर पर प्रजेन्टेशन के माध्यम से यूपीआई, यूएसएसडी, एईपीएस आदि सुविधा के बारे में जानकारी दी गई तथा जिनके पास मोबाइल बैंकिंग एवं आधार नम्बर था उनके मोबाइल पर इस सुविधा को एक्टिवेट करने की जानकारी भी दी गई। इसी क्रम में बैंक द्वारा इस प्रकार की कार्यशाला सभी जिलों के राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए भी की गई है। जिससे वे प्रशिक्षण पाकर अपने क्षेत्र की जनता को डिजिटल बैंकिंग के लिए जागरूक कर सकें।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रयास है कि प्रदेश की जनता डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्य, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, स्वाइप मशीन यूपीआई, यूएसएसडी, एईपीएस आदि डिजिटल बैंकिंग को अपनायें तथा अधिक से अधिक बैंकिंग लेनदेन इन माध्यमों से करें।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के फील्ड महाप्रबंधक श्री अजय व्यास ने बताया कि भारत सरकार द्वारा डिजि-धन व्यापार योजना के तहत 50 रुपये से लेकर 3000 रुपये के बीच लेनदेन को कवर किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे कैशलेस भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है।

डिजि-धन योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में भोपाल, जबलपुर, इंदौर, देवास एवं ग्वालियर में मेलों का आयोजन किया जाएगा। डिजि-धन योजना के अंतर्गत लकी ग्राहक योजना में उपभोक्ताओं के लिए एवं डिजि-धन व्यापार योजना में व्यापारियों के लिए लकी ड्रॉ का प्रावधान किया गया है। श्री व्यास ने प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को डिजिटल बैंकिंग अपनाने और प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रेरित किया।

---

लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के द्वारा ही होता है और इसके लिए नकदी की जरूरत नहीं रह गई है।

3. डिजिटल ट्रांजेक्शन आपको अपने खर्चों को एक बार में ही सरसरी तौर पर देखकर हिसाब लगाने की सुविधा प्रदान करता है जिससे आप अपने बजट को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं।
4. बिना नकदी के किए गए लेनदेन की जांच आसानी से की जा सकती है इसलिए इन पर आवश्यक करों का भुगतान अनिवार्य हो जाता है जिससे काले धन की समस्या से मुक्ति मिलती है।
5. करों के संग्रह में वृद्धि होने की वजह से कर वसूली के ढाचे में करों की दरें कम हो जाती हैं।
6. गरीबों एवं जरूरतमंदों को इस माध्यम से मौद्रिक लाभ सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित करने की सुविधा मिलती है जिससे बेईमान दलालों द्वारा गरीब शोषित होने से बच जाते हैं।
7. बिना नकद लेनदेन के द्वारा हवाला चैनलों के माध्यम से काले धन के वितरण पर रोक लगती है। इसके द्वारा बेहिसाब धन का आपराधिक एवं आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में किये जा रहे इस्तेमाल पर रोक लगती है।
8. इस सुविधा की वजह से सरकार द्वारा करेंसी नोटों के मुद्रण एवं प्रचलन के लागत में पर्याप्त बचत होती है।
9. बैंकों में भारी मात्रा में नकदी जमा रहने की वजह से ब्याज दरों को कम करने में मदद मिलती है और साथ ही बैंक इस नकदी का इस्तेमाल उत्पादक कार्यों में करने में समर्थ हो जाते हैं।

● **हरीश बाबू**
*(लेखक पत्रकार व स्तंभकार हैं)*

## कैशलेस अर्थव्यवस्था से डिजिटल भारत की ओर

नगद रहित अथवा कैशलेस ट्रांजेक्शन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा आप बिना नगद के अपने अकाउंट से लेनदेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे अपने अकाउंट से बिजली, पानी, घर का लोन, बच्चों की फीस, जीवन बीमा पॉलिसी का भुगतान, खरीदी-बिक्री, सब कुछ कर सकते हैं, यानि कि बिना कैश के भुगतान संभव है। इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवादियों को अवैध धनपूर्ति, नकली मुद्रा तस्करी, हवाला कारोबार जैसी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है।

प्रधानमंत्रीजी का डिजिटल भारत बनाने का स्वप्न एक बहुआयामी कार्यक्रम है जिसके तहत डिजिटल अधोसंरचना का सृजन, सरकारी सेवाएं 'ऑनलाइन' प्रदान करना, नागरिकों को डिजिटल रूप से शिक्षित करना, प्रौद्योगिकी के उपयोग का वातावरण निर्मित करना शामिल है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार भारत को नगदी रहित अर्थतंत्र के रूप में बदलने के लिए संकल्पित है। सरकार द्वारा कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

- **ई-वॉलेट** - ई-बटुआ जिससे पैसे का लेनदेन मुमकिन है।
- **आधार एनेबल्ड पेमेन्ट सिस्टम-** अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउन्ट के साथ लिंक करके आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।
- **कार्ड्स, पीओएस-** आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिये भुगतान कर सकते हैं।
- **यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस)-** हर बैंक का अपना मोबाइल एप है, जिसके द्वारा स्मार्ट फोन के माध्यम से पैसे का लेनदेन किया जा सकता है।
- **यू.एस.एस.डी. (अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा)** - इसके द्वारा आप अपने साधारण फीचर फोन से भी पैसों का लेनदेन कर सकते हैं।

● **प्रस्तुति : अभिषेक सिंह**

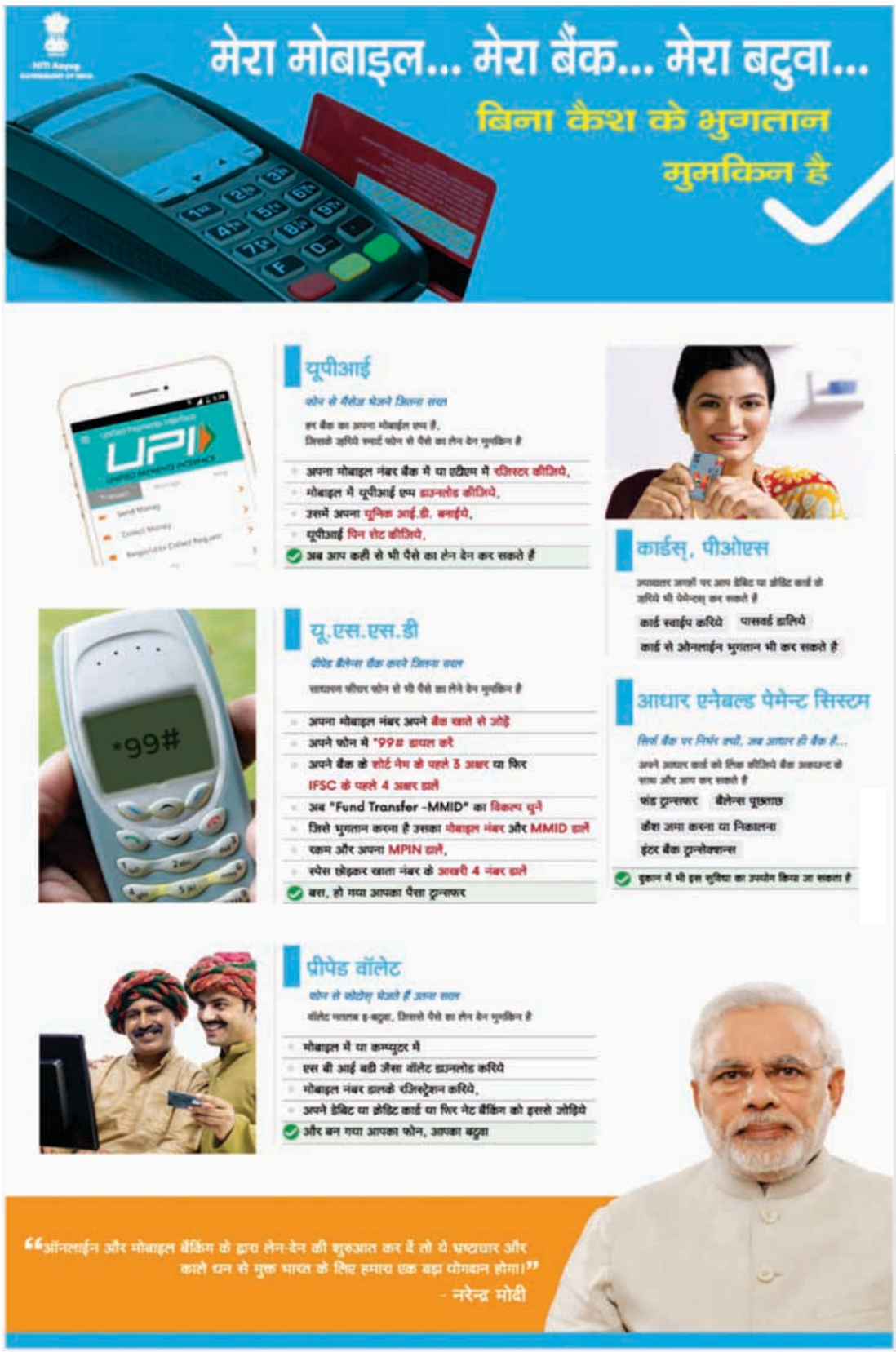
मेरा मोबाइल... मेरा बैंक... मेरा बटुवा...
बिना कैश के भुगतान मुमकिन है
यूपीआई
अपना मोबाइल नंबर बैंक में या एटीएम में रजिस्टर कीजिये,
मोबाइल में यूपीआई एप्प डाउनलोड कीजिये,
उसमें अपना यूनिक आई.डी. बनाईये,
यूपीआई पिन सेट कीजिये,
अब आप कहीं से भी पैसे का लेन देन कर सकते हैं
कार्डस्, पीओएस
काई स्वाईप करिये
पासवर्ड डालिये
कार्ड से ऑनलाईन भुगतान भी कर सकते हैं
यू.एस.एस.डी
अपना मोबाइल नंबर अपने बैंक खाते से जोड़ें
अपने फोन में *99# डायल करें
अपने बैंक के शॉर्ट नेम के पहले 3 अक्षर या फिर IFSC के पहले 4 अक्षर डालें
अब "Fund Transfer -MMID" का विकल्प चुनें
जिसे भुगतान करना है उसका मोबाइल नंबर और MMID डालें
रकम और अपना MPIN डालें,
स्पेस छोड़कर खाता नंबर के आखरी 4 नंबर डालें
बस, हो गया आपका पैसा ट्रान्सफर
आधार एनेबल्ड पेमेन्ट सिस्टम
फंड ट्रान्सफर
बैलेन्स पूछताछ
कैश जमा करना या निकालना
इंटर बैंक ट्रान्सेक्शन्स
प्रीपेड वॉलेट
मोबाइल में या कम्प्युटर में
एस बी आई बडी जैसा वॉलेट डाउनलोड करिये
मोबाइल नंबर डालके रजिस्ट्रेशन करिये,
अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग को इससे जोड़िये
और बन गया आपका फोन, आपका बटुवा
"ऑनलाईन और मोबाइल बैंकिंग के द्वारा लेन-देन की शुरुआत कर दें तो ये भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्त भारत के लिए हमारा एक बड़ा योगदान होगा।"
- नरेन्द्र मोदी

## डिजिटल एप भीम

# आपका अंगूठा ही आपकी पहचान

**कैशलेस भुगतान की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 30 दिसम्बर को नई दिल्ली में लकी ग्राहक योजना के पहले लकी ड्रॉ के अवसर पर मोबाइल एप भीम लांच किया। इस एप का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर भीम रखा गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहब बहुत महान अर्थशास्त्री थे। उनके विचारों का परिणाम था कि देश में केन्द्रीय-बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री ने कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि "अब आपका अंगूठा, आपका बैंक और आपका अंगूठा ही आपकी पहचान है। भीम एप दुनिया के लिए अनूठा होगा। जो आपके परिवार को आर्थिक महाशक्ति बनाने वाला है।" खास बात यह है कि यह एप बिना इंटरनेट से चलेगा। भीम 'एप' को लेकर आमजन के मन में अनेक प्रश्न होंगे, कई कठिनाइयां होंगी, जिसे समाधानित करने के लिए नीति आयोग द्वारा सामान्यतः उठने वाले प्रश्न और उनके समाधान जारी किए हैं। आपकी मोबाइल बैंकिंग सुविधाजनक हो इसके लिए प्रस्तुत है 'भीम' एप से संबंधित प्रश्न और उत्तर। उम्मीद है इसे जानने के बाद आप अनुभव करेंगे कि आपका बैंक आपके पास है।**

- **भीम एप क्या है? इसका प्रयोग क्यों करना चाहिए?**

❐ भीम एक ऐसा एप है जिसके जरिए आप यू.पी.आई. के प्रयोग से आसानी से और शीघ्रता से लेनदेन कर सकते हैं। यह वॉलेट से आसान है। आपको एक ही बैंक का विवरण बार-बार नहीं भरना पड़ेगा। आप भुगतान को एक बैंक से सीधे दूसरे बैंक में आसानी से भेज सकते हैं और केवल मोबाइल नंबर या भुगतान पते के जरिए तुरंत पैसे प्राप्त कर सकते हैं।

- **यह यू.पी.आई. क्या है?**

❐ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यू.पी.आई.) एक त्वरित भुगतान प्रणाली है जिसे आर.बी.आई. विनियमित इकाई के भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एन.पी.सी.आई.) ने विकसित किया है। यू.पी.आई., आई.एम.पी.एस. अवसंरचना के आधार पर बना हुआ है और किसी दो पक्षों के बैंक खातों के बीच पैसों के तुरंत लेनदेन में आपकी सहायता करता है।

- **भीम से लेनदेन कितने तेजी से होता है?**

❐ आप इसे जितना जल्दी प्राप्त कर सकें! भीम के जरिए भुगतान बैंक खाते से लिंक होते हैं और कुछ सेकेंड के भीतर लेनदेन को पूरा किया जा सकता है।

- **क्या भीम का प्रयोग करने के लिए कोई शुल्क देना पड़ता है?**

❐ भीम के जरिए होने वाले लेनदेन के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। लेकिन आपका बैंक यू.पी.आई. या आई.एम.पी.एस. स्थानांतरण शुल्क के रूप में एक छोटा-सा शुल्क ले सकता है, इसलिए अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

- **भीम का प्रयोग आरंभ करने के लिए क्या करने की आवश्यकता पड़ती है?**

❐ भीम का प्रयोग आरंभ करने के लिए आप सब को स्मार्टफोन, इंटरनेट की सुविधा, यू.पी.आई. भुगतान की सुविधा वाला भारतीय बैंक खाते और बैंक खाते से लिंक किए हुए मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ती है। इस ऐप के जरिए यू.पी.आई. को अपने बैंक खाते से जोड़ें।

- **क्या भीम एप प्रत्येक मोबाइल ओ.एस. के साथ कार्य करता है?**

❐ भीम एप अभी एंड्राइड (वर्शन 8 या इससे ऊपर) और आई.ओ.एस. मोबाइल (वर्शन 5 और उससे ऊपर) पर उपलब्ध है।

- **क्या भीम के जरिए किसी को भी पैसे भेजे जा सकते हैं?**

❐ हाँ, आप भीम के जरिए अपने यू.पी.आई. वाले बैंक खाते से किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। आपको पंजीकरण करने और बैंक खाते से लिंक डेबिट कार्ड के विवरण का प्रयोग कर यू.पी.आई. पिन सेट करने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपके लाभार्थी का बैंक खाता भी यू.पी.आई. से लिंक है, तो आप उसके मोबाइल नम्बर या भुगतान पते के जरिए आसानी से पैसा भेज सकते हैं। यदि नहीं, तो आप पैसा भेजने के लिए आई.एफ.एस.सी. कोड, बैंक खाता या एम.एम.आई.डी., मोबाइल नम्बर का प्रयोग कर सकते हैं।

- **यदि मैं अपना मोबाइल कैरियर बदल दूँ, तो क्या होगा?**

❐ बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। आप हमेशा की तरह भीम के प्रयोग को जारी रख सकते हैं।

- **यदि मैं अपना हैंडसेट बदल दूँ, तो क्या होगा?**

❐ यदि आप हैंडसेट बदल देते हैं, तो आपको इन कार्यों को करने की आवश्यकता पड़ेगी

(1) भीम एप दोबारा डाउनलोड करें।

(2) अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करें।

(3) भीम को आपके सत्यापन की अनुमति दें।

यह आपकी सुरक्षा के लिए है। सत्यापन के बाद आपका खाता री-स्टोर हो जाएगा।

- **क्या मेरा मोबाइल नंबर बदल जाने के बाद भी मैं भीम खाते का प्रयोग जारी रख सकता हूँ?**

❐ यदि आपका मोबाइल नंबर बदलता है, तो सबसे पहले आपको अपने बैंक में अपने मोबाइल नम्बर को अपडेट करवाना होगा। जब आप अगली बार भीम एप खोलेंगे, तो आपका मोबाइल नंबर एस.एम.एस. के जरिए सत्यापित हो जाएगा और आपका सुरक्षा कारणों के तहत यह खाता 24 घंटे बाद सक्रिय होगा।

- **भीम कितना सुरक्षित है?**

❐ भीम बहुत ही सुरक्षित है। भीम पर प्रत्येक लेन-देन में आपके उस यू.पी.आई. पिन की आवश्यकता पड़ती है, जो केवल आपको ही पता होगा और इससे अनाधिकृत एक्सेस को रोका जा सकता है। आपको यह यू.पी.आई. पिन किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। इसके साथ-साथ भीम पर किए गए सभी लेनदेन सुरक्षित बैंक नेटवर्क पर किए जाते हैं और भीम तथा बैंक के बीच सभी संपर्क गोपनीय प्रणाली के जरिए होता है।

- **यदि मेरा फोन खो जाए, तो क्या होगा?**

❐ यदि आपका फोन खा जाता है, तो सभी लेनदेन के लिए अधिकृत यू.पी.आई. पिन की जानकारी तीसरे व्यक्ति को मालूम नहीं होगी और इस प्रकार वे भीम का उपयोग करने में सफल नहीं होंगे। इसके अलावा कृपया आपके बैंक ग्राहक सहायक से संपर्क करें।

- **क्या भीम पर पैसों का लेनदेन केवल बैंक के कार्य-समय के दौरान ही होता है?**

❐ सभी भुगतान तुरंत और आपके बैंक के कार्य-समय की परवाह किए बिना 24x7 यानि हमेशा चौबीस घंटे होते हैं।

- **क्या भीम का प्रयोग करने के लिए मेरे बैंक खाता पर मोबाइल बैंकिंग सक्षम करने की आवश्यकता है?**

❐ भीम का प्रयोग करने के लिए आपके खाते पर मोबाइल बैंकिंग का सक्षम होना आवश्यक नहीं है। आपका मोबाइल नम्बर बैंक के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

- **मैंने लेनदेन के लिए भुगतान किया लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा क्यों?**

❐ जब आप लेनदेन पूरा कर लेते हैं, तो आपको भीम स्क्रीन पर सफल स्थिति देखना चाहिए और आपके बैंक से एस.एम.एस. प्राप्त होना चाहिए। ऑपरेटर त्रुटियों के कारण कुछ स्थिति में इसमें बहुत अधिक समय लग सकता है। यदि आपको एक घंटे के भीतर आपका पुष्टिकरण प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में कृपया अपने बैंक के ग्राहक सहायक से संपर्क करें।

- **भीम में लेनदेन की सीमा कितनी होती है?**

❐ अपने बैंक खाता के जरिए स्थानांतरण की सीमा 10,000 रुपए प्रति लेनदेन है।

- **यू.पी.आई. पिन क्या है?**

❐ यू.पी.आई. पिन (यू.पी.आई. व्यक्तिगत पहचान संख्या) 4-6 अंकों वाला गुप्त कोड होता है जिसे आप इस एप के जरिए पहली बार पंजीकरण के दौरान बनाते अथवा सेट करते हैं। आपको इस यू.पी.आई. पिन का प्रयोग सभी बैंक के लेनदेन को अधिकृत करने हेतु दर्ज करना पड़ता है। यदि आपने किसी अन्य यू.पी.आई. एप से पहले से ही यू.पी.आई. पिन सेट कर लिया है तो आप उसे ही भीम पर प्रयोग कर सकते हैं। (**नोट :** बैंक द्वारा जारी किया गया एम. पिन, यू.पी.आई. के यू.पी.आई. पिन से अलग होता है, कृपया भीम एप में नया यू.पी.आई. पिन बनाएँ)

**नोट :** कृपया अपना यू.पी.आई. पिन किसी के साथ साझा न करें। भीम आपके यू.पी.आई. पिन विवरण को स्टोर या रीड नहीं करता है तथा आपके बैंक के ग्राहक सहायक इसके बारे में कभी नहीं पूछते हैं।

- **मैं अपना यू.पी.आई. पिन भूल गया हूँ, सहायता करें!**

❐ चिंता न करें! अपना यू.पी.आई. पिन भूल जाने की स्थिति में, आप इसे रीसेट कर सकते हैं।

एप के होम स्क्रीन -> खाते -> यू.पी.आई. पिन भूल गए (इच्छित बैंक खाता के लिए) पर जाएँ। अपने डेबिट कार्ड विवरण को अपने साथ रखें और ओ.टी.पी. की जरिए पुष्टि करें।

- **भुगतान पता क्या है?**

❐ भुगतान पता एक ऐसा पता है जो विशेष रूप से व्यक्ति के बैंक खाते की पहचान करता है। उदाहरण के लिए भीम ग्राहकों के लिए भुगतान पता xyz[at]upi के प्रारूप में होता है। आप भुगतान प्राप्त करने के लिए किसी के साथ, अपना भुगतान साझा कर सकते हैं (बैंक खाता संख्या/आई.एफ.एस.सी. कोड आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है)। आप अपने भुगतान पता के जरिए किसी को पैसे भी भेज सकते हैं।

**नोट :** अपने गोपनीय यू.पी.आई. पिन को किसी के साथ साझा न करें।

- **क्या भीम का प्रयोग करने के लिए मुझे किसी व्यक्तिगत बैंक का ग्राहक होना चाहिए?**

❐ अपने बैंक खाता के जरिए सीधे स्थानान्तरण को सक्षम करने के लिए, आपके बैंक को यू.पी.आई. (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) प्लेटफार्म

# 2017 ईस्वी सन्
# शक संवत् 1938-39

## जनवरी — पौष–माघ 1938 — 2017

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| रविवार | 1 11 | 8 18 | 15 25 | 22 2 | 29 9 |
| सोमवार | 2 12 | 9 19 | 16 26 | 23 3 | 30 10 |
| मंगलवार | 3 13 | 10 20 | 17 27 | 24 4 | 31 11 |
| बुधवार | 4 14 | 11 21 | 18 28 | 25 5 | |
| गुरुवार | 5 15 | 12 22 | 19 29 | 26 6 | |
| शुक्रवार | 6 16 | 13 23 | 20 30 | 27 7 | |
| शनिवार | 7 17 | 14 24 | 21 1 | 28 8 | |

## फरवरी — माघ–फाल्गुन 1938 — 2017

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| रविवार | | 5 16 | 12 23 | 19 30 | 26 7 |
| सोमवार | | 6 17 | 13 24 | 20 1 | 27 8 |
| मंगलवार | | 7 18 | 14 25 | 21 2 | 28 9 |
| बुधवार | 1 12 | 8 19 | 15 26 | 22 3 | |
| गुरुवार | 2 13 | 9 20 | 16 27 | 23 4 | |
| शुक्रवार | 3 14 | 10 21 | 17 28 | 24 5 | |
| शनिवार | 4 15 | 11 22 | 18 29 | 25 6 | |

## मार्च — फाल्गुन–चैत्र 1938-39 — 2017

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| रविवार | | 5 14 | 12 21 | 19 28 | 26 5 |
| सोमवार | | 6 15 | 13 22 | 20 29 | 27 6 |
| मंगलवार | | 7 16 | 14 23 | 21 30 | 28 7 |
| बुधवार | 1 10 | 8 17 | 15 24 | 22 1 | 29 8 |
| गुरुवार | 2 11 | 9 18 | 16 25 | 23 2 | 30 9 |
| शुक्रवार | 3 12 | 10 19 | 17 26 | 24 3 | 31 10 |
| शनिवार | 4 13 | 11 20 | 18 27 | 25 4 | |

## अप्रैल — चैत्र–वैशाख 1939 — 2017

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| रविवार | 30 10 | 2 12 | 9 19 | 16 26 | 23 3 |
| सोमवार | | 3 13 | 10 20 | 17 27 | 24 4 |
| मंगलवार | | 4 14 | 11 21 | 18 28 | 25 5 |
| बुधवार | | 5 15 | 12 22 | 19 29 | 26 6 |
| गुरुवार | | 6 16 | 13 23 | 20 30 | 27 7 |
| शुक्रवार | | 7 17 | 14 24 | 21 1 | 28 8 |
| शनिवार | 1 11 | 8 18 | 15 25 | 22 2 | 29 9 |

## मई — वैशाख–ज्येष्ठ 1939 — 2017

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| रविवार | | 7 17 | 14 24 | 21 31 | 28 7 |
| सोमवार | 1 11 | 8 18 | 15 25 | 22 1 | 29 8 |
| मंगलवार | 2 12 | 9 19 | 16 26 | 23 2 | 30 9 |
| बुधवार | 3 13 | 10 20 | 17 27 | 24 3 | 31 10 |
| गुरुवार | 4 14 | 11 21 | 18 28 | 25 4 | |
| शुक्रवार | 5 15 | 12 22 | 19 29 | 26 5 | |
| शनिवार | 6 16 | 13 23 | 20 30 | 27 6 | |

## जून — ज्येष्ठ–आषाढ़ 1939 — 2017

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| रविवार | | 4 14 | 11 21 | 18 28 | 25 4 |
| सोमवार | | 5 15 | 12 22 | 19 29 | 26 5 |
| मंगलवार | | 6 16 | 13 23 | 20 30 | 27 6 |
| बुधवार | | 7 17 | 14 24 | 21 31 | 28 7 |
| गुरुवार | 1 11 | 8 18 | 15 25 | 22 1 | 29 8 |
| शुक्रवार | 2 12 | 9 19 | 16 26 | 23 2 | 30 9 |
| शनिवार | 3 13 | 10 20 | 17 27 | 24 3 | |

# पंचां

पंचा

## शासकीय 3

### समस्त र

| | | |
|---|---|---|
| 5 | जनवरी | गुरु गोवि दिवस |
| 26 | जनवरी | गणतंत्र दि |
| 10 | फरवरी | *संत रवि |
| 24 | फरवरी | *महाशिव |
| 13 | मार्च | होली |
| 29 | मार्च | *गुड़ी पड़ |
| 1 | अप्रैल | †बैंकों क |
| 5 | अप्रैल | रामनवमी |
| 9 | अप्रैल | महावीर उ |
| 14 | अप्रैल | डॉ. अम्बे पुण्य शुक्र |
| 29 | अप्रैल | *परशुराम |
| 10 | मई | बुद्ध पूर्णि |
| 26 | जून | ईद–उल– |
| 7 | अगस्त | रक्षाबंधन |
| 15 | अगस्त | स्वतंत्रता |
| 2 | सितम्बर | ईदुज्जुहा |
| 30 | सितम्बर | दशहरा ( |
| 1 | अक्टूबर | मोहर्रम |
| 2 | अक्टूबर | गांधी जय |
| 5 | अक्टूबर | *महर्षि व |
| 19 | अक्टूबर | दीपावली |
| 4 | नवम्बर | गुरुनानक |
| 2 | दिसम्बर | मिलाद–उ |
| 25 | दिसम्बर | ख्रिस्त ज |

*कोषागारों एवं उप-काषागारों के

†केवल कोषागारों एवं उप-कोषाग

## ऐच्छिक (आप्शन

(1) 6 जनवरी- महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस, (2) 14 जनवरी- मकर संक्रांति/पोंगल, (3) 18 जनवरी- डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस, (4) 21 जनवरी- महाराज का जन्म दिवस, (9) 21 फरवरी- महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस, (10) 24 फरवरी- शबरी जयंती, (11) 14 मार्च- भाईदूज, (12) 20 मार्च- वीरांगना अवंतीबाई फुले जयन्ती, (17) 14 अप्रैल- विशु, (18) 22 अप्रैल- वल्लभाचार्य जयन्ती, (19) 28 अप्रैल- छत्रपति शिवाजी जयन्ती, (20) 29 अप्रैल- अक्षय तृतीया, (21) 12 मई- शब-ए-बा जून- वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस, (27) 28 जुलाई- नागपंचमी, (28) 17 अगस्त- पारसी नववर्ष दिवस, (29) 25 अगस्त- गणेश (33) 4 सितम्बर- ओणम, (34) 5 सितम्बर- अनंत चतुर्दशी, (35) 9 सितम्बर- गदीर-ए-खुम, (36) 18 सितम्बर- राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस, (3 (महानवमी), (41) 30 सितम्बर- योम-ए-अशुरा, (42) 5 अक्टूबर- महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती/टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव, (43) 18 अक्टूबर- दीपावली (दक्षिण (48) 15 नवम्बर- बिरसा मुंडा जयन्ती, (49) 22 नवम्बर- झलकारी जयन्ती, (50) 24 नवम्बर- गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस, (51) 25 नवम्बर- संत श्री जिनतरण तारण जयन

टीप - प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को इन 52

मध्यप्रदेश

# यिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

# 2017

## विक्रम संवत् 2073-74

## य अवकाश

### त रविवार

- गोविन्दसिंह जी का जन्म
स
तंत्र दिवस
त रविदास जयन्ती
हाशिवरात्रि
ी
ड़ी पड़वा/चैती चांद
कों की वार्षिक लेखाबंदी
नवमी
वीर जयन्ती
अम्बेडकर जयन्ती/ वैशाखी/
य शुक्रवार (गुड फ्रायडे)
शुराम जयंती
पूर्णिमा
-उल-फितर
बंधन
ंत्रता दिवस/जन्माष्टमी
ज्जुहा
हरा (विजयादशमी)
र्रम
ी जयन्ती
हर्षि वाल्मीकी जयन्ती
ावली
नानक जयन्ती
ाद-उन-नबी
स्त जयन्ती (क्रिसमस)

रों के लिए यह छुट्टियाँ नहीं हैं।
कोषागारों के लिये यह छुट्टी है।

## शनल) छुट्टियाँ

### जुलाई आषाढ़–श्रावण 1939 2017

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| रविवार | 30 8 | 2 11 | 9 18 | 16 25 | 23 1 |
| सोमवार | 31 9 | 3 12 | 10 19 | 17 26 | 24 2 |
| मंगलवार | | 4 13 | 11 20 | 18 27 | 25 3 |
| बुधवार | | 5 14 | 12 21 | 19 28 | 26 4 |
| गुरुवार | | 6 15 | 13 22 | 20 29 | 27 5 |
| शुक्रवार | | 7 16 | 14 23 | 21 30 | 28 6 |
| शनिवार | 1 10 | 8 17 | 15 24 | 22 31 | 29 7 |

### अगस्त श्रावण–भाद्र 1939 2017

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| रविवार | | 6 15 | 13 22 | 20 29 | 27 5 |
| सोमवार | | 7 16 | 14 23 | 21 30 | 28 6 |
| मंगलवार | 1 10 | 8 17 | 15 24 | 22 31 | 29 7 |
| बुधवार | 2 11 | 9 18 | 16 25 | 23 1 | 30 8 |
| गुरुवार | 3 12 | 10 19 | 17 26 | 24 2 | 31 9 |
| शुक्रवार | 4 13 | 11 20 | 18 27 | 25 3 | |
| शनिवार | 5 14 | 12 21 | 19 28 | 26 4 | |

### सितम्बर भाद्र–आश्विन 1939 2017

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| रविवार | | 3 12 | 10 19 | 17 26 | 24 2 |
| सोमवार | | 4 13 | 11 20 | 18 27 | 25 3 |
| मंगलवार | | 5 14 | 12 21 | 19 28 | 26 4 |
| बुधवार | | 6 15 | 13 22 | 20 29 | 27 5 |
| गुरुवार | | 7 16 | 14 23 | 21 30 | 28 6 |
| शुक्रवार | 1 10 | 8 17 | 15 24 | 22 31 | 29 7 |
| शनिवार | 2 11 | 9 18 | 16 25 | 23 1 | 30 8 |

### अक्टूबर आश्विन–कार्तिक 1939 2017

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| रविवार | 1 9 | 8 16 | 15 23 | 22 30 | 29 7 |
| सोमवार | 2 10 | 9 17 | 16 24 | 23 1 | 30 8 |
| मंगलवार | 3 11 | 10 18 | 17 25 | 24 2 | 31 9 |
| बुधवार | 4 12 | 11 19 | 18 26 | 25 3 | |
| गुरुवार | 5 13 | 12 20 | 19 27 | 26 4 | |
| शुक्रवार | 6 14 | 13 21 | 20 28 | 27 5 | |
| शनिवार | 7 15 | 14 22 | 21 29 | 28 6 | |

### नवम्बर कार्तिक–अग्रहायण 1939 2017

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| रविवार | | 5 14 | 12 21 | 19 28 | 26 5 |
| सोमवार | | 6 15 | 13 22 | 20 29 | 27 6 |
| मंगलवार | | 7 16 | 14 23 | 21 30 | 28 7 |
| बुधवार | 1 10 | 8 17 | 15 24 | 22 1 | 29 8 |
| गुरुवार | 2 11 | 9 18 | 16 25 | 23 2 | 30 9 |
| शुक्रवार | 3 12 | 10 19 | 17 26 | 24 3 | |
| शनिवार | 4 13 | 11 20 | 18 27 | 25 4 | |

### दिसम्बर अग्रहायण–पौष 1939 2017

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| रविवार | 31 10 | 3 12 | 10 19 | 17 26 | 24 3 |
| सोमवार | | 4 13 | 11 20 | 18 27 | 25 4 |
| मंगलवार | | 5 14 | 12 21 | 19 28 | 26 5 |
| बुधवार | | 6 15 | 13 22 | 20 29 | 27 6 |
| गुरुवार | | 7 16 | 14 23 | 21 30 | 28 7 |
| शुक्रवार | 1 10 | 8 17 | 15 24 | 22 1 | 29 8 |
| शनिवार | 2 11 | 9 18 | 16 25 | 23 2 | 30 9 |

नवरी- हेमू कालाणी का शहीदी दिवस, (5) 1 फरवरी- बसंत पंचमी, (6) 2 फरवरी- देव नारायण जयन्ती, (7) 3 फरवरी- नर्मदा जयन्ती, (8) 10 फरवरी- स्वामी रामचरण जी
ंतीबाई का बलिदान दिवस, (13) 24 मार्च- भक्त माता कर्मा जयन्ती, (14) 1 अप्रैल- निषादराज जयन्ती, (15) 10 अप्रैल- हाटकेश्वर जयन्ती, (16) 11 अप्रैल- महात्मा ज्योतिबा
-ए-बारात, (22) 3 जून- महेश जयन्ती, (23) 7 जून- बड़ा महादेव पूजन, (24) 9 जून- बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस/कबीर जयन्ती, (25) 23 जून- जमात-उल-विदा, (26) 24
णेश चतुर्थी, (30) 28 अगस्त- नवाखाई, (31) 1 सितम्बर- ईद-उल-अदहा (ईदुज्जुहा के ठीक पूर्व का दिवस), (32) 2 सितम्बर- डोलग्यारस,
स, (37) 19 सितम्बर- प्राणनाथ जयन्ती/सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या, (38) 21 सितम्बर- अग्रसेन जयंती, (39) 28 सितम्बर- दशहरा (महाअष्टमी), (40) 29 सितम्बर- दशहरा
क्षिण भारतीय), (44) 20 अक्टूबर- दीपावली का दूसरा दिन, (45) 21 अक्टूबर- भाईदूज, (46) 27 अक्टूबर- भगवान सहस्त्रबाहु जयन्ती, (47) 31 अक्टूबर- नामदेव जयन्ती,
ा जयन्ती, (52) 18 दिसम्बर- गुरु घासीदास जयन्ती.

52 ऐच्छिक छुट्टियों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन की छुट्टियाँ दी जायेंगी, उससे अधिक नहीं.

पर होना आवश्यक है। सभी बैंक, जहाँ अभी यू.पी.आई. की सुविधा है, की सूची भीम एप में मौजूद है।

- **मैं किस प्रकार अपना पिछला लेनदेन देख सकता हूँ?**

❐ भीम एप होम स्क्रीन से,

(1) पैसा भेजें विकल्प पर क्लिक करें,

(2) प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर या भुगतान पता (आप अपने संपर्क सूची से चयन कर सकते हैं या इसे दर्ज कर सकते हैं) या आधार नंबर दर्ज करें या चयन करें।

(3) राशि दर्ज करें जिसे आप भेजना चाहते हैं

(4) आपके डिफॉल्ट बैंक खाते का चयन हो जाता है

(5) यू.पी.आई. पिन दर्ज करें और भेजें

वैकल्पिक रूप से, आप क्यू.आर. कोड भी स्कैन कर सकते हैं और 'स्कैन एंड पे' विकल्प के जरिए भुगतान कर सकते हैं।

- **मैं पैसे के लिए अनुरोध किस प्रकार कर सकता हूँ?**

❐ भीम एप होम स्क्रीन से,

1. पैसे के लिए अनुरोध चुनें
2. प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर या भुगतान पता (आप अपने संपर्क सूची से चयन कर सकते हैं या इसे दर्ज कर सकते हैं) या आधार नंबर दर्ज करें या चयन करें।
3. राशि दर्ज करें जिसके लिए आप अनुरोध करना चाहते हैं
4. भेजें पर क्लिक करें

यह लेनदेन तब तक लंबित रहेगा जब तक कि भुगतान प्राप्त नहीं हो जाता। पैसे का स्थानांतरण आपको हो जाने के बाद आपको सूचित कर दिया जाएगा।

आप अपने क्यू.आर. कोड को साझा करके भी पैसे के लिए अनुरोध कर सकते हैं। क्यू.आर. कोड प्राप्त करने के लिए होम स्क्रीन-> प्रोफाइल-> खाता चुनें पर जाएँ।

- **क्या मैं भीम पर अपने उन दोस्तों को पैसे भेज सकता हूँ जो इस पर पंजीकृत नहीं हैं?**

❐ आप चयनित खाते के लिए मुख्य मेनू- बैंक खाता-यू.पी.आई. पिन सेट पर जाकर अपना यू.पी.आई. पिन सेट कर सकते हैं।

- **मैं भीम से अपने बैंक खाते के लिए यू.पी.आई. पिन किस प्रकार सेट कर सकता हूँ।**

❐ आप चयनित खाता के लिए मुख्य मेनू- बैंक खाता- यू.पी.आई. पिन सेट करें, पर जाकर अपना यू.पी.आई. पिन सेट कर सकते हैं। आपको समाप्ति तिथि के साथ-साथ अपने डेबिट, एटीएम कार्ड का अंतिम 6 अंक भी दर्ज करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक ओ.टी.पी. प्राप्त होगा, जिसे आप दर्ज करके अपना यू.पी.आई. पिन सेट करते हैं।

**नोट :** यू.पी.आई. पिन मोबाइल बैंकिंग के लिए आपके बैंक द्वारा प्रदत्त एम. पिन के जैसा नहीं होता है।

- **मैं अपने बैंक खाते के बैलेंस को किस प्रकार देख सकता हूँ?**

❐ अपने खाते के बैलेंस को देखने के लिए होम स्क्रीन-> खाता-> बैंलेस का अनुरोध करें, पर क्लिक करें विकल्प पर जाएँ।

- **भीम के प्रयोग से किस प्रकार के लेनदेन किए जा सकते हैं?**

❐ भीम के जरिए आप निम्नलिखित प्रकार के लेनदेन कर सकते हैं :

1. भुगतान पते के माध्यम से पैसे का अनुरोध करें या भेजें।
2. आधार नंबर से पैसे भेजें।
3. मोबाइल नंबर से पैसे का अनुरोध करें या भेजें।
4. एम.एम.आई.डी., मोबाइल नंबर के जरिए पैसे भेजें।
5. आई.एफ.एस.सी. कोड, खाता संख्या के जरिए पैसे भेजें।
6. इसके अतिरिक्त, आप व्यापारी भुगतान के लिए स्कैन करके भुगतान करें विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

- **यदि मैं लेनदेन के समय गलत यू.पी.आई. पिन दर्ज करूँ, तो क्या होगा?**

❐ कोई बात नहीं है, यह एप आपको सही यू.पी.आई. पिन द्वारा दोबारा दर्ज करने का निर्देश देगा। अनुमत प्रयासों की अधिकतम संख्या आपके बैंक पर निर्भर करती है। कृपया विवरण के लिए अपने बैंक से संपर्क करें।

- **क्या मैं भीम के जरिए एक से अधिक बैंक खाते को लिंक कर सकता हूँ?**

❐ वर्तमान में, भीम केवल एक बैंक की लिंकिंग को ही सपोर्ट करता है। खाता सेट-अप के समय, आप डिफॉल्ट खाते के रूप में अपने पसंदीदा खाते को लिंक कर सकते हैं। यदि आप किसी दूसरे बैंक खाते को लिंक करना चाहते हैं, तो इस स्थिति में, आप मुख्य मेनू में जाकर बैंक खाते का चयन करें और अपना डिफॉल्ट खाता चुनें। आपके मोबाइल नंबर या भुगतान पते के प्रयोग से आपको स्थानांतरित की जाने वाली धनराशि आपके डिफॉल्ट खाते में जमा हो जाएगी।

- **वॉलेट पर यू.पी.आई. भुगतान का क्या लाभ है?**

❐ कई! मुख्य लाभ लेन-देन करना सरल और आसान है। बस अपने बैंक खाते से लिंक करें और इसके बाद आप वॉलेट की तरह टॉप अप की चिंता किए बिना निर्बाध भुगतान कर सकते हैं। सीमाएँ आई.एम.पी.एस. के समतुल्य है। वॉलेट में पैसे हैं या नहीं की चिंता किए बिना सीधे बैंक स्थानांतर के लिए यू.पी.आई. का प्रयोग करना आसाना हो जाता है।

- **भीम से पंजीकृत मेरा मोबाइल नम्बर और मेरे बैंक खाते से पंजीकृत मोबाइल नम्बर एक समान क्यों रखना चाहिए?**

❐ यह एक बैंकिंग नेटवर्क (यू.पी.आई.) आवश्यकता है। भीम के जरिए पंजीकरण का प्रयोग किए जाने वाले मोबाइल नम्बर का प्रयोग इससे लिंक किए गए बैंक खाते का मिलान करने के लिए किया जाता है।

- **क्या मेरे खाते से कभी ऑटो-डिडक्ट भुगतान होगा?**

❐ हम आपके खाते से ऑटो-डिडक्ट भुगतान नहीं करेंगे।

- **क्या मुझे मेरा बैंक खाता विवरण**

**भीम को देना पड़ेगा?**

❐ पंजीकरण के समय आपको हमें डेबिट कार्ड का विवरण और आपके बैंक खाते से पंजीकृत मोबाइल नंबर का विवरण देना होगा, हम आपके बैंक से विवरणों को दोबारा प्राप्त करेंगे। सभी जानकारी का आदान-प्रदान सुरक्षित बैंकिंग नेटवर्क पर किया जाता है तथा हम इसे स्टोर नहीं करते हैं, आपकी जानकारी सुरक्षित है।

● **मैं अपने सभी ऐतिहासिक लेनदेन के रिकॉर्ड को किस प्रकार एक्सेस करूँ?**

❐ आपके बैंक खाते से किए गए प्रत्येक लेनदेन को बैंक द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा और भीम एप पर 'लेनदेन इतिहास' सेक्शन में अपने पिछले सभी लेनदेन को देख सकते हैं।

● **आप मेरी सभी बैंक खाता जानकारी किस प्रकार प्राप्त कर रहे हैं?**

❐ यह यू.पी.आई. भुगतान प्लेटफार्म की एक विशेषता है (एन.पी.सी.आई. द्वारा निर्मित - एक आर.बी.आई. विनियमित निकाय) यू.पी.आई. प्लेटफार्म गुप्त रूप से आपके मोबाइल नंबर से लिंक खाता का विवरण प्राप्त करता है अर्थात् भीम सभी विवरणों को नहीं देख सकता है। यह आदान-प्रदान सुरक्षित बैंकिंग नेटवर्क पर किया जाता है तथा हम इसे न तो स्टोर करते हैं और न ही इसका कभी प्रयोग करते हैं।

● **मर्चेंट से किया गया रीफंड मेरे खाते में कितनी जल्दी उपलब्ध हो जाएगा?**

❐ आपका मर्चेंट जैसे ही अपने तरफ से रीफंड को प्रक्रियाबद्ध करेगा, यह आपके डिफॉल्ट बैंक खाते में तुरंत उपलब्ध हो जाएगा।

● **मेरे द्वारा किया गया लेनदेन असफल हो रहा है। मुझे क्या करना चाहिए?**

❐ लेनेदेन की विफलताओं से बचने के लिए-

1. सुनिश्चित करें कि यू.पी.आई. पिन सही से दर्ज हुआ है या नहीं।
2 यदि प्राप्तकर्ता भीम पर नहीं है, तो मोबाइल नंबर के बजाए आई.एफ.एस.सी. के जरिए भुगतान करने का विकल्प चुनें।

● **संचयन अनुरोध भीम एप तक नहीं पहुँच रहा है। मुझे क्या करना चाहिए?**

❐ इस स्थिति में, कृपया पहले डेटा कनेक्टिविटी जाँचें। यदि आपने मर्चेंट एप पर, अपने भुगतान पते को दर्ज किया है, तो कृपया अपने भुगतान पते की पुनः जाँच करें और लेनदेन का पुनः प्रयास करें। यह जाँच करने के लिए कि क्या आपका संचयन अनुरोध आप तक पहुँचा है या नहीं कृपया अपने लंबित लेनदेन टैब की जाँच करें।

● **मैं अपना यू.पी.आई. पिन सेट करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास ए.टी.एम./डेबिट कार्ड नहीं है।**

❐ पहली बार यू.पी.आई. पिन सेट करने और यू.पी.आई. पिन भूल जाने की स्थिति में रीसेट करने के लिए आपके पास ए.टी.एम./डेबिट कार्ड होना आवश्यक है।

● **मैंने यू.पी.आई. से लिंक करने के लिए बैंक के नाम का चयन किया है लेकिन इसमें मेरा बैंक खाता नहीं मिल रहा है।**

❐ ऐसी स्थिति में, कृपया सुनिश्चित करें कि आपके खाते से लिंक किया गया मोबाइल नंबर भीम एप में सत्यापित मोबाइल नंबर एक समान है या नहीं। यदि एक समान नहीं हो, तो आपका बैंक खाता यू.पी.आई. प्लेटफार्म से प्राप्त नहीं होगा। इसके अतिरिक्त केवल बचत और चालू खाते ही भीम द्वारा सपोर्टेड हैं।

● **मेरा यू.पी.आई. लेनदेन विफल क्यों हो रहा है?**

❐ यू.पी.आई. लेनदेन विफल होने के कई कारण हो सकते हैं, सबसे संभावित कारण बैंकिंग सिस्टम में कनेक्टिविटी की समस्याएँ, दर्ज किया गया गलत भुगतान पता या गलत यू.पी.आई. पिन प्रविष्टि है। यदि आपका लेनदेन विफल हो जाता है, तो कृपया पुनः प्रयास करें। यदि यह कार्य नहीं करता है, तो कृपया ग्राहक सहायता से संपर्क करें।

● **मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा यू.पी.आई. लेनदेन सफल हुआ है या नहीं?**

❐ किसी भी लेनदेन के लिए, आप अपने स्क्रीन पर तुरंत एक स्थिति देखेंगे। यदि किसी कारण से किसी लेनदेन में विलंब होता है या कोई लेनदेन लंबित हो जाता है, तो यह परिणाम यू.टी.आर. या बैंक संदर्भ संख्या के साथ आपके लेनदेन इतिहास पर पोस्ट होगा। इसके अतिरिक्त आपको अपने बैंक से एक एस.एम.एस. प्राप्त होगा।

● **मेरा यू.पी.आई. लेनदेन विफल हो गया है लेकिन मेरे बैंक खाते से धनराशि डेबिट हो गई है।**

❐ विफलताओं की स्थिति में, धनराशि आपके खाते में वापस रीफंड हो जाएगी। कभी-कभी इसमें आवश्यकता से अधिक समय लगता है। यदि आपको 1 घंटा के भीतर रीफंड प्राप्त नहीं होता है, तो कृपया अपने बैंक के ग्राहक सहायक से संपर्क करें।

● **मैंने यू.पी.आई. से पैसे भेजे हैं जो सफल तो दिख रहा है, लेकिन प्राप्तकर्ता को पैसे प्राप्त नहीं हुए हैं।**

❐ घबराए नहीं, कभी-कभी बैंकिंग प्रणाली में त्रुटि होने के कारण पैसे के स्थानांतरण में आवश्यकता से अधिक समय लग सकता है। यदि प्राप्तकर्ता को 1 घंटे के भीतर धनराशि प्राप्त नहीं होती है, तो कृपया अपने बैंक के ग्राहक सहायक से संपर्क करें।

● **मेरा मर्चेंट रीफंड मेरे भीम खाता पर नहीं दिख रहा है। मुझे क्या करना चाहिए?**

❐ यदि आपका मर्चेंट इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि रीफंड को प्रक्रियाबद्ध किया गया है या नहीं, तो कृपया अपने मर्चेंट से संपर्क करें। मर्चेंट द्वारा रीफंड को प्रक्रियाबद्ध करने के बाद 'यह आपको भीम' में दिखना चाहिए। बैंक खाते से रीफंड होने में अधिक से अधिक 1 कार्य दिवस का समय लगता है।

● **मैं सीधे बैंक के माध्यम से अपने यू.पी.आई. पिन को किस प्रकार सेट**

## डिजिटल इंडिया

# प्रदेश के व्यापारियों को उपलब्ध करवायी जायेंगी पी.ओ.एस. मशीनें

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास में डिजिटल इंडिया अभियान के लांचिंग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के व्यापारियों को पॉइंट ऑफ सेलिंग (पी.ओ.एस.) मशीनें उपलब्ध करवाने पर विचार हो रहा है। इस अभियान का संयोजन उच्च शिक्षा विभाग के 'कैम्पस टू कम्यूनिटी' कार्यक्रम में किया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय सेवा योजना इसमें शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अभियान के जागरुकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिये अपर मुख्य सचिव श्री दीपक खांडेकर की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित की गयी है। रोजमर्रा के आर्थिक व्यवहार में नगदी की आवश्यकता को सीमित करने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश के व्यापारियों को 5 लाख प्वाइंट ऑफ सेलिंग (पी.ओ.एस.) मशीनें कैसे उपलब्ध करवाई जायें। इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश तेजी से बदल रहा और आगे बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को सफल बनाने के प्रयास में मध्यप्रदेश सबसे आगे है। प्रदेश में सरकार द्वारा छात्रों और किसानों को डायरेक्ट बेनीफिट स्कीम से लाभान्वित किया जा रहा है।

श्री चौहान ने कहा कि आमजन द्वारा कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिये सूचित और शिक्षित करने के प्रभावी प्रयासों की जरूरत है। जागरुकता अभियान की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस आर्थिक क्रांति को दूरस्थ अंचलों तक ले जाने में यह अभियान सफल होगा।

उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया ने कहा कि जीवन मूल्य और संस्कृति स्थाई होती है किन्तु सभ्यता और जीने के तरीकों को समय के साथ बदलना जरूरी होता है। इसी बदलाव का माध्यम डिजिटल इंडिया अभियान है।

---

**कर सकता हूँ?**

❒ आप अपने यू.पी.आई. पिन को किसी अन्य यू.पी.आई. पिन सक्षम बैंक एप के जरिए सेट कर सकते हैं।

- **क्या मेरे द्वारा किए जा सकने वाले यू.पी.आई. लेनदेन की संख्या की कोई सीमा है?**

❒ हाँ। एन.पी.सी.आई. ने प्रति दिन प्रति लिंक्ड बैंक खाता 20 सफल यू.पी.आई. लेनदेन की सीमा लागू की है।

- **यू.पी.आई. के जरिए मैं मर्चेंट को किस प्रकार ऑनलाइन भुगतान कर सकता हूँ?**

❒ ऑनलाइन खरीददारी करते समय, जब आपको भुगतान विकल्प के रूप में यू.पी.आई. दिखे तो आप यू.पी.आई. के जरिए भुगतान कर सकते हैं। उस पर क्लिक कर आप अपना भुगतान पता (xyz[at]upi) दर्ज करें। भुगतान पता दर्ज कर लेने के बाद, आपको अपने भीम एप पर एक संग्रह अनुरोध प्राप्त होगा। यहाँ अपना यू.पी.आई. पिन दर्ज करें, इसके बाद आपका भुगतान पूर्ण हो जाएगा। यह प्रक्रिया बहुत ही आसान है।

# बड़झिरी बना मध्यप्रदेश का पहला डिजिटल ग्राम

**डिजिटल ग्राम से न केवल बैंकिंग सेक्टर में फायदा मिलेगा बल्कि इस तकनीक का फायदा ग्रामीणों को खेती-किसानी में भी मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नोटबंदी का फैसला लेकर देश की अर्थ-व्यवस्था से काला धन साफ किया है। इस निर्णय से आमजन को कुछ समय तकलीफ होगी लेकिन आने वाले समय में सरकार के पास कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिये पैसों की कमी नहीं होगी।**

वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने 20 दिसंबर को भोपाल में प्रदेश के पहले डिजिटल ग्राम बड़झिरी का लोकार्पण करते हुए कहा है कि देश में तेजी से विकास के लिए कैशलेस सोसायटी का होना जरूरी है। उन्होंने इस व्यवस्था को देश की दूसरी आजादी की लड़ाई बताया। बड़झिरी प्रदेश का पहला डिजिटल ग्राम है, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से डिजिटल ग्राम बनाया गया है।

वित्त मंत्री श्री मलैया ने कहा कि बड़झिरी के लोगों को डिजिटल ग्राम से न केवल बैंकिंग सैक्टर में फायदा मिलेगा बल्कि इस तकनीक का फायदा ग्रामीणों को खेती-किसानी में भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नोटबंदी का फैसला लेकर देश की अर्थ-व्यवस्था से काला धन साफ किया है।

इस निर्णय से आमजन को कुछ समय तकलीफ होगी लेकिन आने वाले समय में सरकार के पास कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिये पैसों की कमी नहीं होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था के लिये राज्य सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के बच्चों को उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिये बगैर ब्याज पर ऋण दिया जायेगा। इसके लिये 1000 करोड़ रुपये का कोष तैयार किया गया है।

वित्त मंत्री श्री मलैया ने ग्रामीणों को स्मार्ट फोन और ग्राम पंचायत के सरपंच को कम्प्यूटर भेंट किया। विधायक श्री रामेश्वर शर्मा ने इस मौके पर कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल ग्राम बनाकर बड़ी पहल की है। इसका असर इस क्षेत्र के आसपास के ग्रामों पर भी पड़ेगा। उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों से कहा कि वे कार्पोरेट-सोशल रिस्पांसबिलिटी (सीएसआर) में बड़झिरी में सुन्दर पार्क बनायें। इस पार्क के बनने से डिजिटल ग्राम की प्रेरणा अन्य गाँवों को भी मिलेगी।

### डिजिटल ग्राम में किये गये कार्य

बड़झिरी के 2000 ग्रामीणों के खाते खोले गये और डेबिट कार्ड जारी किये गये। गाँव की सभी दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पीओएस मशीन लगाई गई। गाँव में एक्सप्रेस लाबी की स्थापना की गई, जिसमें एटीएम, पास-बुक प्रिंटर, कैश डिपाजिट मशीन लगाई गई। बड़झिरी गाँव को इन्टरनेट और वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। गाँव में ग्राहक सेवा केन्द्र की स्थापना की गई है। ग्रामीणों को बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग एप की सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है। किसानों को स्मार्ट फोन खरीदने के लिये बैंक ऑफ बड़ौदा 10,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवा रहा है। ग्रामीणों को कम्प्यूटर साक्षरता के लिये चौपालों पर विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

# मध्यप्रदेश में डिजिटल भुगतान के लिए प्रयास

**मध्यप्रदेश में डिजिटल भुगतान को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। इससे नागरिकों को नगद भुगतान में आने वाली कठिनाइयों से राहत मिल रही है और यह आसान तथा सुगम बनता जा रहा है।**

### 1. गवर्नमेंट टू सिटीजन (G2C) एवं सिटीजन टू गवर्नमेंट (C2G) भुगतान

- राज्य शासन की ट्रेजरी के माध्यम से नागरिकों को होने वाले शत-प्रतिशत भुगतान बैंकिंग के माध्यम से किये जा रहे हैं।
- राज्य शासन की समस्त राजस्व प्राप्तियों का लगभग 69 प्रतिशत ई-भुगतान (साईबर ट्रेजरी) से प्राप्त होता है। राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि रुपये 10,000 से अधिक की प्राप्तियों के लिये प्रचलित ई-भुगतान प्रणालियों का उपयोग किया जाये।
- आय एवं जाति प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आदि सेवाओं हेतु लोक सेवा केन्द्रों पर ली जाने वाली फीस का भुगतान कैशलेस ट्रान्जेक्शन तरीके से किया जा रहा है।
- सभी विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में ली जाने वाली फीस को कैशलेस तरीके से लेने की व्यवस्था की जा रही है।
- नगरीय निकाय द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर ली जाने वाली शुल्क एवं उनके द्वारा लिये जाने वाले कर ई-भुगतान प्रणाली से लिये जा रहे हैं।

### 2. सिटीजन टू सिटीजन ट्रांजेक्शन (C2C)

- C2C कैशलेस ट्रान्जेक्शन को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश में दिसम्बर माह में 13 हजार कैम्पों का आयोजन किया गया।
- कैम्प के दौरान नए खाते खोले गये, बैंक खातों को आधार नंबर एवं मोबाइल नंबरों से जोड़ा गय, रूपे (RuPay) कार्ड एवं पिन का वितरण किया गया तथा साथ ही ग्रामीणों को ग्राम सभा के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्रदान की गई।
- प्रदेश में सभी मंत्रियों, विधायकों तथा बड़ी संख्या में स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों, कर्मचारियों और स्कूल के छात्रों, एन.सी.सी. एवं एन.एस.एस. के विद्यार्थियों आदि को कैशलेस ट्रान्जेक्शन की ट्रेनिंग दिए जाने का कार्य शुरू किया गया है।

**डिजिटल पेमेंट हेतु उपलब्ध विकल्प**

- BHIM App.
- मोबाइल बैंकिंग
- ई-वॉलेट
- रूपे कार्ड/डेबिट कार्ड
- क्रेडिट कार्ड/प्रीपेड कार्ड
- यू.एस.एस.डी./यू.पी.आई.
- आधार नम्बर आधारित भुगतान
- माइक्रो ए.टी.एम.
- नेट बैंकिंग–RTGS/NEFT/IMPS
- POS/M-POS/e-POS

### 3. सिटीजन टू बिजनिस (B2C)

- पी.ओ.एस. मशीन सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश द्वारा मशीन पर लगने वाले वेट टैक्स पर छूट प्रदाय की गई है।
- पी.ओ.एस. मशीन हेतु मर्चेंट एग्रीमेंट पर देय स्टाम्प शुल्क से छूट दी गई है।
- बैंकों से अनुरोध किया गया है कि वे पी.ओ.एस. मशीन पर लिये जा रहे मासिक किराये को समाप्त करें।
- प्रदेश में यह भी मुहिम चलाई जा रही है कि व्यापारी के द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवायें एवं बेचे जाने वाली वस्तुओं पर कैशलेस ट्रान्जेक्शन पर छूट दें, ताकि अधिक से अधिक नागरिक कैशलेस ट्रान्जेक्शन की ओर अग्रसर हों।

### 4. कृषि अर्थव्यवस्था में कैशलेस ट्रान्जेक्शन

- प्रदेश की 257 मंडियों में लगभग 95 प्रतिशत ट्रान्जेक्शन बैंकिंग चैनल के माध्यम से हो रहा है।
- किसानों द्वारा खाद एवं बीज की खरीदी कैशलेस ट्रान्जेक्शन तरीके से की जा रही है।
- प्रदेश में किये जा रहे सभी समर्थन मूल्य पर खरीदी का शत-प्रतिशत भुगतान किसानों के बैंक खातों में किया जा रहा है।
- सभी जिला सहकारी बैंक एवं अपेक्स बैंक द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट, RTGS, NEFT आदि पर लगने वाले सभी चार्जेस को समाप्त कर दिया गया है।

### 5. प्रशिक्षण की व्यवस्था

- प्रदेश स्तर पर सभी जिलों के दो-दो अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में चिन्हित करके प्रशिक्षित किया गया।
- जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं जिनके द्वारा विकासखंड, ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकाय में वार्ड स्तर पर कैशलेस ट्रांजेक्शन हेतु नागरिकों को सतत प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

# सखी समावेशन कार्यक्रम से बैंकिंग कार्य हुआ आसान

## बुजुर्गों के दर्द का मरहम बनी "बैंक सखियां"

राजगढ़ के नाटाराम ग्राम में बैंक सखी देवकला दांगी (मो. 9752529481) का पहुंचना श्रीमती कमलाबाई के लिये किसी देवदूत से कम नहीं रहा। 65 साल की यह बीमार महिला चलने फिरने से मोहताज होने के कारण 23 माह से पेंशन नहीं निकाल पाई थी। आर्थिक तंगहाली और लाचारी के बीच जब देवकला दांगी ने ग्राम पहुंचकर उनके खाते से 7000 रुपये निकाल कर दिये, तो चेहरे की चमक के साथ बैंक सखी की आत्मिक संतुष्टी की कल्पना नहीं की जा सकती है। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की पहल पर सक्रिय 65 सखियां, बैंकों की प्रतिनिधि के रूप में राजगढ़ जिले में बुजुर्गों के लिये उनके दर्द का मरहम साबित हो रही हैं। बुजुर्ग भी स्वीकारने लगे हैं कि इन बैंक सखियों से उन्हें अब बैंक जाने की कष्टकारी प्रक्रिया से मुक्ति मिली है।

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत गरीब महिलाओं के समूह बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के प्रयास में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन छोटी राशि के लेनदेन में बैंकों का बड़ा अमला व्यस्त होने की परेशानी इस प्रयास में बाधक बन रही थी। इसी परेशानी के कारण स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किये गये प्रयास कारगर नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक ने गरीब परिवारों तक बैंकों की पहुंच बनाने के लिए बैंक सखी मॉडल को प्रस्तुत कर बैंकों को निर्देशित किया कि, वह इसे लागू करें। इस दिशा में प्रयास करते हुए राजगढ़ में आजीविका मिशन के समन्वय से बैंकों ने इस नवाचार की शुरुआत की हैं। बैंकों ने इसके लिये समूह की महिलाओं को लक्षित कर कार्य को आगे बढ़ाया है। खास बात यह रही कि बैंक सखी के रूप में भी समूह की महिलाओं को ही प्रशिक्षित कर पदस्थ किया गया है। प्रयासों का परिणाम यह रहा कि जिले में "बैंक सखी" मॉडल की अवधारणा सफल साबित हुई है। अब इस मॉडल को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की नेशनल इकाई ने पूरे देश में अपनाने का निर्णय लिया है। राजगढ़ के खिलचीपुर विकासखण्ड के नाटाराम ग्राम में देवकला का पहुंचकर श्रीमती कमलाबाई

को पेंशन बांटना इसी मानवीय प्रयास का उदाहरण साबित हुआ है।

मध्यप्रदेश के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला परियोजना अधिकारी सुश्री अनीसा बेगम (7222992306) के अनुसार जिले में बैंकों से समन्वय कर समूह की महिलाओं को बैंक सखी के रूप में सक्रिय किया है। जिले में 65 ग्राम सखियां तीन सौ से अधिक ग्रामों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इन बैंक सखियों में 40 नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, 23 बैंक ऑफ इण्डिया तथा दो पंजाब नेशनल बैंक के लिये कार्य कर रही हैं। आजीविका मिशन का प्रयास ग्राम स्तर पर समूह की महिलाओं को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने का रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के सखी समावेशन कार्यक्रम के तहत बैंकों से समन्वय कर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। इन बैंक सखियों से जुड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्वयं भी समूह की सदस्य होने के कारण गरीबी से बाहर आकर स्वयं को आत्मनिर्भर करने में लगी हैं। मजदूरी जैसे श्रम आधारित कार्य करने वाली महिलायें अब सम्मानजनक कार्यालयीन कार्य के माध्यम से 5000 से लेकर 10000 रुपये मासिक तक कमा रही हैं। अब इन महिलाओं का ग्राम में पहुंचना ग्रामीणों में खुशी का संचार कर देता है। मानवीय संवेदनाओं के चलते इन बैंक सखियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे प्रकरण में आगे आकर बुजुर्गों को घर पहुँच सेवा देकर मदद की है। जिले के खिलचीपुर विकासखण्ड के ग्राम नाटाराम की श्रीमती कमलाबाई को पेंशन उपलब्ध कराना इन्हीं प्रयासों का परिणाम माना जा सकता है। अन्य बैंक सखियाँ भी ग्राम की चौपाल पर बैठकर बैंकिंग जैसे कठिन समझे जाने वाले कार्य को आसान करने में लगी हैं। यह बैंक सखियाँ समूह की महिलाओं के बैंकिंग लेनदेन के साथ आधार लिंक, नरेगा की मजदूरी वितरण, बच्चों की छात्रवृत्ति जैसे कार्य कर रही हैं। इसके अलावा बीमा योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों के लिये बैंक सखियों ने आसान कर दिया है। अटल पेंशन योजना के कार्य को भी यह सखियां सम्पादित कर रही हैं। इन सखियों को बैंक ने लेपटॉप खरीदने के

लिये आसान किश्तों पर ऋण उपलब्ध कराया है, साथ ही ग्राम स्तर पर जाकर कार्य करने के लिये स्कूटी खरीदने के लिये भी ऋण स्वीकृत किया गया है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बुजुर्गों को वितरित की जाने वाली पेंशन के लिये घर पहुंच सेवा ने बैंक सखियों की सामाजिक एवं मानवीय उपयागिता को बढ़ा दिया है।

मिशन की जिला रिपोर्ट के अनुसार राजगढ़ में बैंक सखियों ने 6 माह में 300.00 करोड़ रुपये का बैंकिंग करोबार किया है। इसमें 5000 खाते खोलने के साथ आधार लिंक का कार्य किया गया है। ये 65 बैंक सखियाँ 2700 से अधिक हितग्राहियों को पेंशन का वितरण कर चुकी हैं। इसके अलावा छात्रवृत्ति वितरण जैसे कार्य भी यह बैंक सखियां कर रही हैं। इन सखियों द्वारा समूह की महिलाओं के व्यक्तिगत खाते खोलने के साथ वित्तीय लेनदेन की प्रक्रिया आसान हो गई है। अब महिलाओं को बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ते साथ ही अन्य ग्रामीण भी इनके माध्यम से लेनदेन कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने अब विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि का इनके माध्यम से हितग्राहियों को भुगतान करने की योजना बनाई है। इसके लागू करने से विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन के हितग्राहियों को छोटी-छोटी राशि के लिये शहर तक आने-जाने से मुक्ति मिल रही है। जिला परियोजना अधिकारी, आजीविका मिशन के अनुसार इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिले में महिलाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण आरसेटी संस्था के माध्यम से दिया जा रहा है।

सुविधाविहीन स्कूलों में पढ़ाई के साथ पारिवारिक परेशानियों को दरकिनार कर अपनी इच्छाशक्ति के दम पर "बैंक सखी" बनने जैसी कहानी को अब आईआईएम (इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट) ने अपने लिये केस स्टेडी बनाया है। जिले की 12 बैंक सखियों को इंदौर के आईआईएम ने अध्ययन के विषय के रूप में चयनित किया है। गत दिनों इंदौर के प्रतिष्ठित आईआईएम का इन बैंक सखियों ने भ्रमण किया। इन्स्टीट्यूट के प्रोफेसर श्री अख्या कुमार नायक तथा उनकी रिसर्च टीम के निमंत्रण पर संस्थान पहुंचीं इन बैंक सखियों को प्रबंधन का प्रशिक्षण भी दिया गया। प्रबंधन से जुड़े युवाओं के लिये सपने जैसे संस्थान में इन बैंक सखियों का पहुंचना उनके लिये चमत्कार से कम नहीं रहा। भ्रमण में शामिल बैंक सखियों में देवकला दांगी, पायल सोनी, ललिता नागर, प्रियंका शर्मा, सीता गुर्जर, पिंकी सोलंकी, मधु मालाकार, संतोष वर्मा, सुनीता भिलाला, पूजा, मनीषा गौड़, आशा सोनी शामिल रहीं। इस दौरान सभी को इन्स्टीट्यूट के प्रोफेसर श्री नायक और उनकी रिसर्च टीम ने प्रशिक्षित किया। संस्थान के शोध पत्र "रणभूमि" के माध्यम से इन बैंक सखियों को मेडल एवं शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया। सुविधाविहीन ग्रामों से बाहर निकलकर आयी इन बैंक सखियों के लिये आईआईएम का छात्र होना किसी सपने से कम नहीं रहा। इस दौरान सभी सखियों ने एक स्वर मे स्वीकारा कि यह क्षण उनके लिये गौरव का क्षण था।

● **संजय सक्सेना**
(लेखक म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला राजगढ़ में जिला प्रबंधक हैं)

# पंचायत मंत्री ने किया 67 करोड़ 65 लाख रुपये की बीमा राशि का वितरण

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने 10 दिसंबर को बिट्टन मार्केट दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ 2015 की दावा राशि का किसानों को कैशलेस वितरण किया।

मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि प्रदेश के सभी 51 जिलों में एक साथ राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ 2015 की दावा राशि का किसानों को भुगतान सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश के 20 लाख 46 हजार किसानों को 4416 करोड़ के फसल बीमा की दावा राशि स्वीकृत हुई है जो पूरे देश में किसी राज्य की अब तक की सबसे बड़ी फसल बीमा दावा राशि है। स्वीकृत बीमा दावा की राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे जमा कराई जा रही है।

आयोजन में प्रतीकात्मक तौर पर भोपाल जिले के 50 कृषकों को स्वीकृत बीमा दावा राशि बैंक में जमा कराने का प्रमाण पत्र राशि वितरण के रूप में दिया गया। उन्होंने बताया कि भोपाल जिले में 32 हजार किसानों को 67 करोड़ 45 लाख से अधिक की बीमा दावा राशि भुगतान की जा रही है।

मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में कार्य किए जा रहे हैं। किसानों के हितों की अनदेखी नहीं होगी। मृदा परीक्षण और उन्नत खेती तकनीक आदि अपनाकर किसान समृद्ध बनें, खेती लाभ का धंधा बने इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

## उज्जैन को सिंहस्थ के लिए मिला डिजिटल अवार्ड-2016

मध्यप्रदेश के उज्जैन को सिंहस्थ के सफल आयोजन के लिए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित डिजिटल इंडिया अवार्ड्स कार्यक्रम में 'Most Innovative Citizen Engagement' श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ। पूर्व मेला अधिकारी श्री अविनाश लवानिया, पूर्व उप मेला अधिकारी श्री सुजान रावत ने यह पुरस्कार केंद्रीय मंत्री, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कानून और न्याय श्री रवि शंकर प्रसाद से प्राप्त किया। भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा देश में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जनता की सुविधा एवं जन-कल्याणकारी सेवाओं को प्रदान करने के लिये अपनाए जा रहे नवाचारों को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं से प्रजेन्टेशन आमंत्रित किए गए थे। सिंहस्थ मेला कार्यालय द्वारा सिंहस्थ महापर्व में आए करोड़ों श्रद्धालुओं को सूचना प्रौद्योगिकी के नवीनतम माध्यमों का उपयोग कर सेवाएँ प्रदान की गई थीं। इन माध्यमों में जीआईएस, मोबाइल एप, वेबसाइट, कॉल सेंटर, स्मार्ट पार्किंग, सोशल मीडिया, डिस्प्ले सिस्टम, हेल्प सेंटर आदि प्रमुख थे। इस बार का सिंहस्थ आईटी की नवीनतम तकनीकों के उपयोग के लिए भी जाना गया। तत्कालीन मेला अधिकारी श्री लवानिया जो स्वयं आईआईटियन हैं, द्वारा अपनी टीम के माध्यम से नई-नई तकनीकों का उपयोग किया गया। फील्ड में अपनी आईटी टीम के साथ इन नवीनतम तकनीकों को अमली जामा पहनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई श्री सुजान रावत, उप मेला अधिकारी ने। आईटी टीम में श्री मनीष विजयवर्गीय, श्री दीपक वर्मा आदि शामिल थे।

## नमामि देवि नर्मदे-नर्मदा सेवा यात्रा

# पर्यावरण और नदी संरक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा जन अभियान

**लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जिसने जनता को सत्ता का सहभागी बना लिया वह अजेय हो जाता है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ऐसे ही नेताओं में शुमार हैं, जो जनता के मन की बात करते हैं और जनता के हित की बात करते हैं। इसीलिये वह आज जनता के बीच खड़े नजर आ रहे हैं।**

"नमामि देवि नर्मदे-नर्मदा सेवा यात्रा" उनकी दूरदर्शी सोच और प्रदेश के विकास में एक और कदम बढ़ाने का प्रतीक है। मुख्यमंत्री जानते हैं कि नर्मदा नदी प्रदेश की जीवनरेखा के साथ-साथ विकास का स्तंभ है। यदि नर्मदा पर संकट आया तो सम्पूर्ण प्रदेश पर संकट आ जायेगा। यही कारण है कि उन्होंने नर्मदा नदी के संरक्षण और संवर्धन को प्राथमिकता में रखते हुए एक ऐसी कार्ययोजना बनाई जो न सिर्फ नर्मदा नदी को प्रवाहमान बनाये रखेगी बल्कि प्रदेश के किसानों की आजीविका को भी बेहतर बनायेगी। नर्मदा नदी के महत्व और संरक्षण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने करीब एक वर्ष पहले ही इसकी कार्य योजना बनाना प्रारंभ कर दी थी। उनमें नर्मदा नदी को लेकर जो चिंतन है, भविष्य की तस्वीर है, इसका ही परिणाम है कि आज हम नर्मदा नदी के संरक्षण को लेकर आगे बढ़ चुके हैं। उन्हीं के प्रयासों से मध्यप्रदेश शासन द्वारा एक विशेष यात्रा के रूप में "नमामि देवि नर्मदे" नर्मदा सेवा यात्रा-2016 का संचालन किये जाने की योजना तैयार कर इस यात्रा को प्रारंभ किया गया है, जो कि मुख्य रूप से जन जागरूकता एवं जन समुदाय के सहयोग से नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्रों में वानस्पतिक आच्छादन, स्वच्छता और साफ-सफाई, मृदा और जल संरक्षण तथा प्रदूषण की रोकथाम के माध्यम से नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए कार्य किये

जाने पर केन्द्रित है।

"नमामि देवि नर्मदे" नर्मदा सेवा यात्रा-2016 का आयोजन 11 दिसम्बर, 2016 से 11 मई 2017 तक किया जा रहा है। यह यात्रा लगभग 144 दिनों में 50 सदस्यों के कोर ग्रुप द्वारा नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक (जिला अनूपपुर) से सोंडवा (जिला अलीराजपुर में प्रदेश में नर्मदा प्रवाह का अंतिम स्थल) से पुनः अमरकंटक तक की यात्रा के रूप में संचालित की जायेगी। यात्रा नर्मदा नदी तट पर स्थित 16 जिलों, 51 जनपदों के लगभग 962 ग्रामों से होकर निकलेगी। यात्रा के दौरान नर्मदा तटीय क्षेत्र में चिन्हांकित स्थानों पर संगोष्ठियों, चौपालों एवं विविध गतिविधियों के माध्यम से जन समुदाय को नर्मदा नदी के संरक्षण की आवश्यकता एवं वानस्पतिक आच्छादन, स्वच्छता और साफ-सफाई, मृदा एवं जल संरक्षण तथा प्रदूषण की रोकथाम के माध्मय से नर्मदा नदी के संरक्षण के संबंध में जागरूक किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने लंबे सियासी सफर में खासतौर से बतौर मुख्यमंत्री 11 साल पूरा करने के बीच जो उतार-चढ़ाव देखे और खास होकर ठेठ गांव के किसान की अपनी छवि बनाई उसके कई पहलू हैं। चाहे फिर वो युवाओं के बीच या फिर किसानों और गरीब-बेसहारा लोगों के बीच लोकप्रियता, सामाजिक सरोकार से जुड़े उनके अनछुए पहलू में नर्मदा से लगाव और नर्मदा के प्रति समर्पण भी उन्हें अलग पहचान दिलाता है। चाहे फिर वो धार्मिक, पौराणिक महत्व से जुड़ा हो या फिर वह यादें जिसकी गवाह स्वयं माँ नर्मदा बनीं। चाहे वह बचपन के दिन हों या फिर मौज-मस्ती के और शांति-सुकून की खोज के साथ कुछ नया सोचने और करने के लिये नर्मदा किनारे चिंतन, मंथन के। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जब श्री शिवराज सिंह चौहान का मन हुआ तो वह नर्मदा में जाकर छलांग लगाते खूब देखे गये। उन्होंने जो भावनात्मक रिश्ता नर्मदा से बनाया है उसने अब शायद यह सोचने को मजबूर कर दिया है कि उन्हें माँ नर्मदा के प्रति अपने दायित्व, कर्तव्य से आगे बढ़कर उस कर्ज को उतारना ही होगा. जिसने उन्हें न सिर्फ पहचान दी बल्कि प्रेरणा के साथ एक ऐसा रास्ता भी दिखाया जो समाज के लिये कुछ करने का मार्ग बना।

पर्यावरण और नदी संरक्षण के लिये दुनिया का सबसे बड़ा जन अभियान 11 दिसम्बर 2016 को मध्यप्रदेश की धार्मिक और पौराणिक नगरी अमरकंटक से शुरू हुआ। "नमामि देवि नर्मदे" नर्मदा सेवा यात्रा-2016 के रूप में इस महत्वाकांक्षी अभियान का माँ नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आचार्यों, महामण्डलेश्वरों, संत-महात्माओं, मंत्रीमण्डल के सदस्यों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में पूजा-अर्चना कर माँ नर्मदा के जयघोष के साथ शुभारंभ किया गया। सभी संतों ने अभियान की सराहना करते हुए इसकी सफलता की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि माँ नर्मदा आज संकट में है। जंगल कम होने से नदी की धार कम हो गई है। माँ नर्मदा ने हमें पानी, बिजली, फसलें, फल, फूल सब्जी आदि सब कुछ दिया है, लेकिन हमने उसे प्रदूषित कर विभिन्न बीमारियों का न्यौता दिया है जिससे जीवन का अस्तित्व खतरे में है। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है संभलने की और इस अपराध का प्रायश्चित करने की। यह प्रायश्चित वृक्षारोपण करने, जैविक खेती करने,

स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से पूरा होगा। नर्मदा नदी देश की अन्य बड़ी नदियों की अपेक्षा साफ है। इसके बावजूद इसमें प्रदूषण न बढ़े, लोग संरक्षण के प्रति जागरूक हों, उसके संसाधनों का समुचित उपयोग हो और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ जल मिले, इसलिये इसके संरक्षण के कार्य को जन-आंदोलन बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि धार्मिक नगरी अमरकंटक को सबसे सुंदर तीर्थ-स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा। नर्मदा नदी में गंदे पानी के प्रवाह को रोकने के लिये साढ़े पंद्रह करोड़ रुपये से सीवेज ट्रीटमेंट प्लान स्थापित किया जायेगा। नर्मदा नदी के तटों पर बसे गरीबों को पक्के मकान बनाकर दिये जायेंगे। साथ ही व्यवस्थित दुकानें बनाई जायेंगी और शहर को नये ढंग से व्यवस्थित किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न उद्देश्य को लेकर शुरू की गई 3334 किलोमीटर की यह यात्रा नर्मदा के दोनों तट से गुजरेगी जो 144 दिनों में सम्पन्न होगी। यात्रा के दौरान दोनों तटों पर एक-एक किलोमीटर तक फलदार, छायादार पौधों का रोपण, स्वच्छता, जैविक खेती, नशामुक्ति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जायेगा। यह समाज और सरकार के सामूहिक संकल्प का प्रयास होगा। श्री चौहान ने इस संबंध में उपस्थित जन को संकल्प भी दिलाया। उन्होंने कहा कि माँ नर्मदा के तट पर स्थित गाँवों में स्वच्छ शौचालय निर्माण और नगरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था, घाटों पर पूजन कुण्ड, मुक्ति धाम और महिलाओं के लिये चेंजिंग रूम बनाने का कार्य करवाया जायेगा। यात्रा का समापन 11 मई 2017 को अमरकंटक में होगा।

### यात्रा के मुख्य उद्देश्य

- नर्मदा नदी के संरक्षण और नदी में उपलब्ध संसाधनों एवं समुचित उपयोग के लिए जन जागरण।
- नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्रों में वानस्पतिक आच्छादन बढ़ाने और वृहद स्तर पर पौधरोपण।
- नदी की पारिस्थितिकी में सुधार के लिए गतिविधियों का चिन्हांकन एवं उनके क्रियान्वयन में स्थानीय जन समुदाय की जिम्मेदारी तय करना।

- टिकाऊ एवं पर्यावरण हितैषी कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिये जन जागरण।
- नदी में प्रदूषण के विभिन्न कारकों की पहचान एवं उनकी रोकथाम हेतु उपाय व जन जागरण।
- नदी के जल भरण क्षमता में जल संरक्षण हेतु उपाय एवं जन जागरुकता लाना।

### समाज की सहभागिता

"नमामि देवि नर्मदे" नर्मदा सेवा यात्रा-2016 के दौरान माँ नर्मदा की सेवा एवं संरक्षण हेतु जन जागरुकता लायी जायेगी। यह नर्मदा सेवा यात्रा समाज को जागरूक एवं गतिशील करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी, जिससे यात्रा के अंतर्गत निर्धारित किये गये उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी। इस नर्मदा सेवा यात्रा में विभिन्न संस्थानों एवं व्यक्तियों को जोड़कर, माँ नर्मदा की सेवा एवं संरक्षण में सहयोग किये जाने हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा।

### अभियान की रणनीति

1. **कोर ग्रुप :** यात्रा का नेतृत्व करने के लिये 50 विषय विशेषज्ञों के एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है, जिसमें नदी व जल संरक्षण, स्वच्छता, कृषि, जैविक कृषि, वन संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण विषयों से संबंधित स्रोत व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है। कोर ग्रुप के अतिरिक्त आम जन भी स्वैच्छिकता के आधार पर यात्रा में किसी भी चिन्हित स्थान से सम्मिलित हो रहे हैं।
2. **यात्रा के साधन :** यात्रा मुख्य रूप से पदयात्रा है। यात्रा हेतु निर्धारित मार्ग (रूट) में चिन्हित मार्गों पर स्थानीय समुदाय के सहयोग से साइकिल यात्रा निकाली जा रही है तथा यात्रा पथ जब पैदल चलने योग्य नहीं है तब यात्रा हेतु वाहन रथ का उपयोग किया जा रहा है।
3. **केन्द्र बिन्दु :** यात्रा मुख्य रूप से नर्मदा नदी के जल एवं मृदा संरक्षण के साथ-साथ स्वच्छता, प्रदूषण की रोकथाम, जैविक कृषि के प्रोत्साहन तथा तटीय क्षेत्रों के संरक्षण पर केन्द्रित है।
4. **यात्रा पथ :** मधयप्रदेश में नर्मदा नदी 16 जिलों तथा 51 विकासखण्डों से होती हुई 1077 किलोमीटर का मार्ग तय करेगी। यात्रा के 144 दिनों के दौरान नर्मदा नदी के तट पर स्थित इन 16 जिलों के 51 विकासखण्डों के लगभग 962 ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। कोर ग्रुप तथा यात्रा दल द्वारा पूरी यात्रा के दौरान लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा की जायेगी।
5. **ग्रामों में गतिविधियां :** समस्त चिन्हित ग्रामों में ग्रामवासियों के सहयोग से ग्राम चौपालों एवं बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। कोर ग्रुप द्वारा ग्रामीणों को नर्मदा नदी के सामाजिक, साहित्यिक,

# नर्मदा सेवा यात्रा के शुभारंभ अवसर पर अतिथियों के वक्तव्य

नर्मदा की पवित्रता के संरक्षण का यह अभियान कामयाब होगा। इस कार्यक्रम से ऐसा ही प्रयास गुजरात में करने की प्रेरणा हमें मिली है। मध्यप्रदेश माँ नर्मदा का एक छोर और गुजरात दूसरा छोर है। माँ नर्मदा के जल का उपयोग मानव विकास में हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अथक प्रयास कर माँ नर्मदा का जल गुजरात में देश की सीमा तक पहुँचा दिया है।

**● श्री विजय रूपानी, मुख्यमंत्री, गुजरात**

भारत की सभ्यता और संस्कृति नदियों के तट पर विकसित हुई है। ऐसी पवित्र भूमि में हम सबको जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहाँ नदियों को माँ माना गया है। हमारी संस्कृति कहती है पंचभूतों को देवता मानकर उनकी पूजा करें क्योंकि पंचभूतों से ही शरीर का निर्माण हुआ है। नदियाँ, वृक्ष, प्राकृतिक संसाधन हमारे लिये हैं। इसलिये उनका संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य है। किसी भी कारखाने में वृक्ष और जल का निर्माण नहीं होता है।

**● श्री भैय्याजी जोशी, सर सहकार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ**

मानव का अस्तित्व जल से ही है। सारे संस्कार और संकल्प जल से ही सम्पन्न होते हैं। भविष्य में जल के लिये युद्ध हो सकता है। माँ नर्मदा नदी की मूल उत्पत्ति वृक्षों से है। इसलिये इसे जीवंत और पवित्र रखने के लिये एकमात्र अनुष्ठान सघन वृक्षारोपण है।

**● स्वामी अवधेशानंद गिरि, महामण्डलेश्वर**

गंगा माँ के जलपान, यमुना के स्नान और माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। नर्मदा दुनिया की एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। मुख्यमंत्री के यात्रा-रूपी प्रयास की सराहना करता हूं और संस्कृति के उत्थान, सबके कल्याण की कामना करता हूं।

**● श्री सुखदेवानन्द, महामण्डलेश्वर**

जो शासक अपने को सेवक समझने लगता है उस राज्य के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान के व्यक्तित्व और कृतित्व की सराहना करता हूं। समय आया है नदियों के संरक्षण के लिये आगे आने का। नदियों ने ही सबसे पहले हमें मानव अधिकार का संदेश दिया। आज नदियों के अधिकार की बात होनी चाहिये।

**● श्री चिदानन्द महाराज, महामण्डलेश्वर**

भारत के कुंभों में नदियों की पवित्रता, पर्यावरण स्वच्छता और सामाजिक समस्याओं पर विमर्श होता था। यात्रा रूपी यह प्रयास भी आध्यात्म और समाज के बीच सेतु बनाने का काम करेगा। नर्मदा के दोनों तटों को हरा-भरा बनाना और नदी में गदंगी प्रवाहित न करना समाज का दायित्व है।

**● जलपुरुष, श्री राजेन्द्र सिंह**

सांस्कृतिक, आर्थिक एवं धार्मिक महत्व के विषय में जानकारी दी जा रही है।

7. **व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सहभागिता :** व्यक्तियों, संस्थाओं, संस्थानों को यात्रा से जोड़ने के लिए बनायी गई वेबसाइट namami devinarmade.mp. gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से वे किसी भी स्थान तथा दूरी के लिए यात्रा से जुड़ सकेंगे।
8. **अन्य गतिविधियां :** कोर ग्रुप द्वारा प्रमुखता के साथ समुदाय के सहयोग से पौधारोपण, मृदा एवं जल संरक्षण, स्वच्छता, जैविक कृषि के प्रोत्साहन तथा प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित सांकेतिक गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में कचरे के प्रबंधन हेतु प्रचलित विधियों को केन्द्र में रखते हुए नर्मदा नदी के प्रदूषण को कम करने हेतु उपायों पर बल दिया जा रहा है। ग्रामों में नर्मदा नदी के संरक्षण से संबंधित फिल्में, डाक्यूमेन्ट्री का प्रदर्शन एवं अन्य प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण किया जा रहा है। यात्रा के दौरान नर्मदा नदी के संरक्षण के संबंध में समस्याओं एवं ग्रामवासियों के सुझावों का संकलन किया जा रहा है।

## मुख्यमंत्री की सहभागिता

### हजारों ग्रामीण बने यात्रा के सहभागी

पवित्र नर्मदा नदी की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के पावन उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अमरकंटक से प्रारंभ की गई ऐतिहासिक नमामि देवि नर्मदे-नर्मदा सेवा यात्रा अरण्डी आश्रम से प्रारंभ होकर डिण्डौरी जिले के करंजिया पहुँची।

यात्रा में मध्यप्रदेश ही नहीं छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती ग्रामों के हजारों युवक-युवतियाँ, महिलाएँ, वृद्धजन, छात्र-छात्राएँ, बच्चे, साधु-संत, जन-प्रतिनिधि, कर्मचारी संगठनों और जन-अभियान परिषद के सदस्य शामिल हुए।

अरण्डी आश्रम से प्रारंभ हुई नर्मदा सेवा-यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री सहित हजारों यात्रियों ने ग्राम बोंदर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी नर्मदा को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्घोष के साथ लोकनृत्य दलों के साथ पैदल

तय की। श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा नदी हमारी जननी है। प्रदेश की जीवन रेखा है। इस नदी ने हमें जीवन दिया है। उन्होंने कहा कि पेड़ नहीं रहेंगे तो माँ रेवा नहीं रहेंगी। नर्मदा को पुनः उसका स्वच्छ-सुंदर स्वरूप देने के लिये अमरकंटक से नमामि देवि नर्मदा सेवा-यात्रा प्रारंभ की गयी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक अभियान में प्रदेश के सभी नागरिक सहभागी बनें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अरंडी आश्रम गये। वहाँ उन्होंने पौध-रोपण किया और कबीर सरोवर पहुँचकर नाव से घाटों का भ्रमण किया। श्री चौहान ने चक्रतीर्थ आश्रम जाकर संतों से भेंट की। श्री चौहान ने मीरा माई के आश्रम जाकर आशीर्वाद लिया।

श्री चौहान ने कहा कि नदियाँ मानव समाज की जीवनदायिनी है, इसलिये नदियों की रक्षा के लिये समाज को भी आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी को प्रदूषण से मुक्त रखने का अभियान सही अर्थों में प्रकृति और मनुष्य को बचाने का अभियान है। श्री चौहान ने नागरिकों से अपील की है कि वे नर्मदा नदी की सेवा का संकल्प लें और शुद्ध मन के साथ नर्मदा सेवा यात्रा में भाग लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनुष्य ने अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति का नुकसान किया है। आने वाली पीढ़ियों का जीवन खतरे में है। प्रदूषण के कारण मानव समाज संकट में है। लगातार विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब जागने का समय आ गया है। प्रकृति को हरियाली से सँवारने का समय है। मुख्यमंत्री ने ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने और उनकी रक्षा करने की अपील की।

### यात्रा को दुनिया का अद्‌भुत जन-आंदोलन बनायेंगे

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि "नमामि देवि नर्मदे" नर्मदा सेवा यात्रा को दुनिया का अद्‌भुत जन-आंदोलन बनायेंगे। नर्मदा नदी मध्यप्रदेश की जीवन-रेखा है। इसके पानी से हमारे जीवन का गहरा जुड़ाव है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान डिण्डौरी जिले की ग्राम पंचायत गाड़ासरई में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नर्मदा नदी में कम जल-प्रवाह होने का कारण अंधाधुंध वनों की कटाई और शहरों के दूषित पानी का नदी में प्रवाहित होना बताया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा नदी के जल से हमारे खेतों में सिंचाई होती है। इस पानी से खेतों में फसलों की पैदावार होती है। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी में दूषित पानी न मिल सके, इसके लिये कार्य-योजना तैयार की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा नदी के दोनों तटों के एक किलोमीटर के दायरे में फलदार वृक्ष लगाये जायेंगे।

### नर्मदा तट पर अब नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने डिण्डौरी में आयोजित संवाद कार्यक्रम में कहा कि अब नर्मदा नदी के तट पर शराब की

| नर्मदा सेवा यात्रा : एक नजर | |
|---|---|
| यात्रा का शुभारंभ | 11 दिसम्बर 2016 |
| शुभारंभ स्थल | अमरकंटक मध्यप्रदेश |
| यात्रा की अवधि | 144 दिवस |
| यात्रा का समापन | 11 मई 2017 अमरकंटक मध्यप्रदेश |
| जिलों की संख्या | 16 |
| विकासखंडों की संख्या | 51 |
| गांवों की संख्या | 962 |
| प्रदेश में नर्मदा की लम्बाई | 1079 कि.मी. |

दुकानें नहीं खोली जायेंगी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ एवं नशा-मुक्त समाज बनाने के लिये सभी लोगों को नशा-मुक्त होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिण्डौरी जिले में यूकेलिप्टिस के पेड़ नहीं लगाये जायेंगे। उन्होंने किसानों से फलदार वृक्ष लगाने और बहनों से अपने भाइयों के साथ ही पेड़ों को भी राखी बाँधने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा नदी में मल-जल को मिलने से रोकने के लिये ट्रीटमेंट प्लांट बनवाये जायेंगे। उन्होंने सभी घरों में शौचालय का निर्माण करवाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने नर्मदा नदी में फल-फूल एवं पूजन सामग्री नहीं डालने का भी आग्रह किया।

### नमामि देवि नर्मदे सेवा यात्रा को विदेशों में भी मिल रहा जन-समर्थन

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम-रैपुरा में माँ नर्मदा की पूजा-अर्चना की, नर्मदा तट पर नर्मदा ध्वज का पूजन एवं वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा नदी के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रारम्भ की गई नमामि देवि नर्मदे-नर्मदा सेवा यात्रा को विदेशों में भी भारी जन-समर्थन मिल रहा है। नोबल पुरस्कार विजेता, आध्यात्मिक धर्मगुरू श्री दलाई लामा एवं समाजसेवी श्री अन्ना हजारे जैसे लाखों लोगों ने इसकी प्रशंसा की है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा हमारे प्रदेश की जीवन-रेखा है। नर्मदा का हमारे जीवन से गहरा जुड़ाव है। धर्म ग्रंथों में नर्मदा को हमारी जननी एवं माता माना गया है। नर्मदा नदी का जल-प्रवाह कम होने तथा जल प्रदूषित होने से इसका संरक्षण करना जरूरी है। नर्मदा का जल-प्रवाह बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण किया जायेगा और नर्मदा ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जायेंगे। सेवा यात्रा में रैलियाँ निकालकर एवं जन-संवाद कर लोगों को नर्मदा नदी के संरक्षण एवं संवर्धन के बारे में संकल्प दिलवाया जा रहा है।

### मुख्यमंत्री ने की पदयात्रा और वृक्षारोपण

"नमामि देवि नर्मदे" नर्मदा सेवा यात्रा-2016 के मंडला जिले के मोहगाँव विकासखण्ड के ग्राम देवगाँव संगम से चलकर चौगान पहुँची यात्रा में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सपत्नीक शामिल हुए। उन्होंने चौगान से लेकर रामनगर तक लगभग 5 किलोमीटर की पदयात्रा की। पलेहरा में ग्रामीणों के साथ रामधुन करते हुए मुख्यमंत्री ने पदयात्रा की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रामनगर के नर्मदा तट पर नर्मदा सेवा यात्रा में नर्मदा तट पर सपत्नीक बरगद, पीपल एवं नीम के त्रिदेव पौधे सहित विभिन्न फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किया। यात्रा में शामिल व्यक्तियों ने 500 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 300 पौधों का रोपण किया। वृक्षारोपण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि "नमामि देवि नर्मदे-नर्मदा सेवा यात्रा" के इस महायज्ञ में सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर वृक्षारोपण में भाग लिया है। यह वृक्ष ही पर्यावरण संतुलित कर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करेंगे।

### पर्यावरण संरक्षण के लिये नर्मदा सेवा यात्रा देश का सबसे बड़ा जन-अभियान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिये "नमामि देवि नर्मदे" नर्मदा सेवा यात्रा-2016 देश का अब तक का सबसे बड़ा जन-अभियान है। श्री चौहान यात्रा के दौरान सिवनी जिले के घंसौर में जन-संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह राजनीतिक नहीं, सामाजिक सरोकार से जुड़ी यात्रा है। उन्होंने कहा कि गर्मी में नर्मदा की जलधारा दुर्बल और पतली हो जाती है। चूँकि नर्मदा किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती, बल्कि इसकी जलधारा विंध्याचल और सतपुड़ा के वृक्षों द्वारा अवशोषित जल से छोड़ी गयी बूँदों से बनती है। इसलिये यह जरूरी है कि नर्मदा के दोनों तटों पर वृक्षारोपण किया जाये, ताकि नदी का जल-स्तर बढ़ सके।

● **नवीन शर्मा**
(लेखक स्तंभकार हैं)

# जिला पंचायतों के कार्यों और अधिकारों के नियम

**मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है। जिलों में पंचायती राज व्यवस्था के संचालन के लिए जिला पंचायत बनाई गई है। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में जिला पंचायत के कार्यों और अधिकारों का वर्णन किया गया है। जिला पंचायतों में कामकाज के सुचारु संचालन के लिए स्थायी समितियों के गठन करने का भी उल्लेख है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।**

**मध्यप्रदेश शासन**
**पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग**
**मंत्रालय, भोपाल**

**क्रमांक एफ 1-6/2016/22/पं-1** **भोपाल, दिनांक 24.09.2016**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत - समस्त,
मध्यप्रदेश।

**विषय :- जिला पंचायत के मुख्य विषयों तथा कार्यों हेतु कार्यालयीन नियम।**

**संदर्भ :- म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 एवं उसके अधीन विहित नियम।**

जिला पंचायत में कार्य संचालन हेतु मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अध्याय-5 पंचायतों के कामकाज का संचालन तथा पंचायत के सम्मेलन की प्रक्रिया अध्याय-6 पंचायत के कृत्य तथा अध्याय-8 पंचायतों की स्थापना, बजट तथा लेखों के कार्य उल्लेखित हैं। धारा-95 के अंतर्गत कामकाज के संचालन के लिये विभिन्न नियमों के साथ-साथ निम्न नियमों को भी अधिसूचित किया गया है :-

(1) मध्यप्रदेश जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत स्थायी समितियों (सदस्यों का निर्वाचन, उनकी शक्तियों और कृत्य तथा सदस्यों का कार्यकाल तथा कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1994।

(2) मध्यप्रदेश जिला पंचायत (कार्य) नियम 1998।

(3) मध्यप्रदेश जिला पंचायत (बजट अनुमान) नियम 1997।

2. उपरोक्त नियमों में शासन द्वारा जिला पंचायत के अध्यक्षय जिला पंचायत की स्थायी समिति के सभापति, सामान्य प्रशासन समिति के सभापति (जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं) तथा जिला पंचायत की साधारण सभा (जिसके अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष हैं) के कामकाज के संबंध में नियम अधिसूचित किये गये हैं।

जिला पंचायतों के कार्यों में नस्तियों के समुचित निर्वर्तन तथा प्रभावी कार्यालयीन प्रबंध हेतु प्रमुख नियम निम्नानुसार हैं :-

| क्र. | विषय | नियम | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1. | जिला पंचायत के कार्यालयीन स्टॉफ की स्थापना संबंधी विषय | नियम 11 (झ) जिला पंचायत (कार्य) नियम 1998 | जिला पंचायत अध्यक्ष, सामान्य प्रशासन समिति के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे मामले जिनमें किसी कर्मचारी को, सेवानिवृत्ति आयु के परे पंचायत की सेवा में बनाये रखना प्रस्तावित किया हो, सामान्य सभा के समक्ष यथास्थिति अनुमोदन या उसकी सिफारिश के लिये प्रस्तुत करवायेगा। |
| | | नियम 12 (प) जिला पंचायत (कार्य) नियम 1998 | जिला पंचायत अध्यक्ष पंचायत के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में पारित आदेश की संबंधित नियमों के अनुसरण में, विहित प्राधिकारी को की जाने वाली अपीलें, यथास्थिति, सभा की स्वीकृति, अनुमोदन या उसकी सिफारिश के लिये प्रस्तुत करेगा। |

| क्र. | विषय | नियम | विवरण |
|---|---|---|---|
| 2. | साधारण सभा की बैठकों का एजेंडा | नियम 4 (1) मध्यप्रदेश पंचायत (सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कामकाज का संचालन) नियम, 1994 | जिला पंचायत के सम्मिलिन की कार्य सूची, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से तैयार की जायेगी। |
| 3. | स्थायी समितियों की बैठकों का एजेन्डा | नियम 19 (9) जिला पंचायत (कार्य) नियम 1998 | स्थाई समिति की प्रक्रिया - जब कार्य नियमों के अनुसार आगामी सम्मेलन की कार्य सूची, स्थायी समिति के सभापति द्वारा अनुमोदित कर दी जाये तो, समिति का सचिव समिति के सदस्यों को कार्य सूची जारी करेगा। |
| | | नियम-20 मध्यप्रदेश पंचायत (सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कामकाज का संचालन) नियम, 1994 | प्रत्येक सम्मेलन की ऐसी सूचना जिसमें, उसकी तारीख, समय तथा स्थान और उसमें दिया जाने वाला कामकाज विनिर्दिष्ट किया गया है, सम्मेलन से पूरे 5 दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जायेगी तथा यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत के कार्यालय में प्रदर्शित की जायेगी। |
| | | | **तथापि** |
| | | नियम 10 (3) जिला पंचायत (कार्य) नियम 1998 | सामान्य प्रशासन समिति से भिन्न स्थायी समिति द्वारा पारित संकल्प की जानकारी तीन दिन के भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से स्थायी समिति के सचिव द्वारा अध्यक्ष, जिला पंचायत के ध्यान में लायी जायेगी। |
| | | | **तथापि** |
| | | नियम 20 (3) जिला पंचायत (कार्य) नियम 1998 | सामान्य प्रशासन समिति किसी अन्य स्थायी समिति से कोई ऐसी जानकारी या विवरणियां मांग सकेगी, जिसे वह अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों के निर्वहन करने के लिये समर्थ होने हेतु आवश्यक समझे। |
| | | | **तथापि** |
| | | नियम 12 (ण) जिला पंचायत (कार्य) नियम 1998 | अध्यक्ष, (जिला पंचायत) स्थायी समितियों के सम्मिलन में लिये गये विनिश्चयों के संक्षेप, यथास्थिति, सभा की स्वीकृति, अनुमोदन या उसकी सिफारिश के लिये प्रस्तुत करवायेगा। |
| 4. | बैठकों का कार्यवाही विवरण | नियम 29 (3) मध्यप्रदेश पंचायत (सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कामकाज का संचालन) नियम, 1994 | प्रत्येक पंचायत कार्यवृत्त पुस्तिका पर, उसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होंगे जिसने उक्त सम्मेलनों की अध्यक्षता की है। |
| | | | **तथापि** |
| | | नियम 29 (2) मध्यप्रदेश पंचायत (सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कामकाज का संचालन) नियम, 1994 | ऐसे कार्यवृत्त को सम्मिलन की समाप्ति से दस दिन के भीतर सम्मिलन में आमंत्रित समस्त व्यक्तियों को परिचालित किया जायेगा। |
| | | | **तथापि** |
| | | नियम 14 (ख) जिला पंचायत (कार्य नियम 1998) | अध्यक्ष, किसी ऐसे मामले के कार्यवृत्त लिख सकेगा जो उसके समक्ष नियमों के अधीन आता हो। |
| 5. | जिला पंचायत के समन्वय के अंतर्गत दिये गये विभागों के वार्षिक बजट | नियम 11 (ख) जिला पंचायत (कार्य) नियम 1998 | जिला पंचायत अध्यक्ष, सामान्य प्रशासन समिति के पूर्व अनुमोदन से, बजट प्राक्कलन, वार्षिक लेखा और प्रशासन की वार्षिक रिपोर्ट पर प्रस्तावित संकल्प, सामान्य सभा के समक्ष यथास्थिति अनुमोदन या उसकी सिफारिश के लिये प्रस्तुत करवायेगा। |

| क्र. | विषय | नियम | विवरण |
|---|---|---|---|
| | | | **तथापि** |
| | | नियम 12 (गग) जिला पंचायत (कार्य नियम) 1998 | अध्यक्ष, (जिला पंचायत) संबंधित स्थायी समिति द्वारा विचार किये जाने के पश्चात आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय हेतु जिले की वार्षिक योजना का अनुमोदन, के सम्मेलन में लिये गये विनिश्चयों के संक्षेप, यथास्थिति, सभा की स्वीकृति अनुमोदन या उसकी सिफारिश के लिये प्रस्तुत करवायेग। |
| | | | **तथापि** |
| | | नियम 6 मध्यप्रदेश जिला पंचायत (बजट अनुमान) नियम 1997 | स्थायी समिति द्वारा क्रियाकलापों के लिये प्राक्कलन तैयार करना - जिला पंचायत की प्रत्येक स्थायी समिति उसे समनुदेशित किये गये विषय के संबंध में आगामी वर्ष के लिये प्रत्येक क्रियाकलाप हेतु निधि का प्राक्कलन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दर्शाई गई उपलब्ध निधि को दृष्टिगत रखते हुए 15 नवम्बर तक तैयार करेगी। इस प्रकार तैयार किया गया प्राक्कलन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सामान्य प्रशासन समिति को 30 नवम्बर तक समीक्षा के लिये भेजा जायेगा। |
| | | | **तथापि** |
| | | नियम 7 मध्यप्रदेश जिला पंचायत (बजट अनुमान) नियम 1997 | प्राक्कलनों की समीक्षा तथा अपेक्षाओं का आगामी वार्षिक बजट में सम्मिलित किया जाना - जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति कार्यक्रमों से संबंधित विभिन्न स्थायी समितियों से प्राप्त प्राक्कलनों की समीक्षा वित्तीय बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए करेगी और अपने विचार जिला पंचायत 15 दिसम्बर तक प्रस्तुत करेगी। जिला पंचायत तत्पश्चात विभिन्न अपेक्षाओं को आगामी वर्ष के लिये तैयार किये जाने वाले वार्षिक बजट में सम्मिलित करने हेतु अंतिम विनिश्चित करेगी। |
| 6. | जिला पंचायत के स्वामित्व की परिसम्पत्तियों के आय-व्यय संबंधी प्रकरण | नियम 11 (ड) जिला पंचायत (कार्य) नियम 1998 | अध्यक्ष (जिला पंचायत) सामान्य प्रशासन समिति के पूर्व अनुमोदन से ऐसे प्रस्ताव जिनमें पंचायत के स्वामित्व की या पंचायत के प्रबंधन की संपत्ति को विक्रय, अनुदान, पट्टा या नीलामी द्वारा या तो अस्थायी या स्थायी रूप से हस्तांतरण करना अंतर्वलित हो, या ऐसा करना प्राधिकृत किया गया हो, सामान्य सभा के समक्ष यथास्थिति अनुमोदन या उसकी सिफारिश के लिये प्रस्तुत करवायेगा। |
| | | | **तथापि** |
| | | पंचायत 12 (ड) जिला पंचायत (कार्य) नियम 1998 | अध्यक्ष (जिला पंचायत) सामान्य प्रशासन समिति के पूर्व अनुमोदन से पूर्व सम्मेलन पश्चात् जिला पंचायत निधि में की समस्त प्राप्तियां तथा उक्त निधि से आहरण का संक्षेप। यथास्थिति सभा की स्वीकृति, अनुमोदन या सिफारिश या जानकारी के लिये प्रस्तुत करवायेगा। |
| | | | **तथापि** |
| | | नियम 12 (ञ) जिला पंचायत (कार्य) नियम 1998 | संसाधन लगाने से संबंधित मामले। |
| | | | **तथापि** |
| | | नियम 12 (फ) जिला पंचायत (कार्य) नियम 1998 | ऐसी सीमा तक जैसी कि राज्य सरकार अवधारित करे, प्रशासकीय स्वीकृति देना। |
| | | | **तथापि** |
| | | नियम 12 (छछ) जिला पंचायत (कार्य नियम) 1998 | अन्य महत्वपूर्ण मामले जो अध्यक्ष आवश्यक समझे। |

| क्र. | विषय | नियम | विवरण |
|---|---|---|---|
| 7. | कर, उपकर, पथकर, शुल्क, फीस इत्यादि के अधिरोपण संबंधी नस्ती | नियम 11 (ग) जिला पंचायत (कार्य नियम) 1998 | अध्यक्ष (जिला पंचायत) सामान्य प्रशासन समिति के पूर्व अनुमोदन से कर, उपकर, पथकर, शुल्क फीस आदि के अधिरोपण या कमी या निरस्तीकरण से संबंधित मामले, सामान्य सभा के समक्ष यथास्थिति अनुमोदन या उसकी सिफारिश के लिये प्रस्तुत करवायेगा। |
| 8. | स्थायी समितियों का कार्यवाही विवरण | स्थायी समिति कार्य संचालन नियम, 1994 के नियम 27(1) | स्थायी समिति के प्रत्येक सम्मेलन के कार्यवृत्त को, देवनागरी लिपि में हिन्दी में लिखकर तैयार किया जायेगा तथा इस प्रयोजन के लिये रखी गई पुस्तक में अभिलिखित किया जायेगा और सम्मेलन के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। |
| | | | **तथापि** |
| | | नियम 10 (3) जिला पंचायत (कार्य नियम) 1998 | सामान्य प्रशासन समिति से भिन्न स्थायी समिति द्वारा पारित संकल्प की जानकारी तीन दिन के भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से स्थायी समिति के सचिव द्वारा अध्यक्ष के ध्यान में लायी जायेगी। |
| | | | **तथापि** |
| | | नियम 12 (ण) जिला पंचायत (कार्य नियम) 1998 | अध्यक्ष, (जिला पंचायत) स्थायी समितियों के सम्मेलन में लिये गये विनिश्चयों के संक्षेप, यथास्थिति, सभा की स्वीकृति, अनुमोदन या सिफारिश या जानकारी के लिये प्रस्तुत करवायेगा। |
| | | | **तथापि** |
| | | नियम 10 (3) जिला पंचायत (कार्य नियम) 1998 | सामान्य प्रशासन समिति से भिन्न स्थायी समिति द्वारा पारित संकल्प की जानकारी तीन दिन के भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से स्थायी समिति के सचिव द्वारा अध्यक्ष के ध्यान में लायी जायेगी। |

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सुनिश्चित करेंगे कि सभी सम्मेलन बैठकों की जिनकी अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा की गई हो, उनके कार्यवृत्त पुस्तिका में उनके हस्ताक्षर हो तथा वह सभी संबंधितों को वितरित हो।
4. कतिपय जिलों से यह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनिश्चित करें कि इस प्रकृति के सभी प्रकरणों की नस्तियों पर नियमों के अंतर्गत अधिसूचित पीठासीन अधिकारी यथा सभापति स्थायी समिति तथा जहां पर अध्यक्ष जिला पंचायत को विनिर्दिष्ट किया गया है वहां अध्यक्ष जिला पंचायत के समक्ष ऐसे मामले नियमों के पालन में प्रस्तुत किये जायें।
5. इन नियमों का पालन पूर्ण सजगता से सुनिश्चित किया जाये। इन नियमों के पालन में कहीं पर भी देरी अथवा कठिनाई हो तो आयुक्त पंचायत के संज्ञान में लायें।

**(नीलम शमी राव)**
**प्रमुख सचिव**
**मध्यप्रदेश शासन**
**पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग**
**भोपाल, दिनांक 24.09.2016**

**पृ. क्रमांक एफ 1-6/2016/22/पं-1**

**प्रतिलिपि :-**

1. उप सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, भोपाल।
3. निज सहायक, माननीय राज्यमंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, भोपाल।
4. अध्यक्ष, समस्त, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।

# पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए पंचायत मंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित

**शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों को ग्राम स्तर तक पहुँचाने और उनका क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी पंचायतों की है। पंचायतों को सशक्त बनाने और विभिन्न विभागों द्वारा गांव और क्षेत्रीय स्तर पर गठित समितियों की आवश्यकता पर पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री समिति के अध्यक्ष हैं। इस संबंध में जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।**

**मध्यप्रदेश शासन**
**सामान्य प्रशासन विभाग**
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004**
**आदेश**

**क्रमांक एफ 19-56/2016/1/4** **भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2016**

मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अनुसरण में प्रदेश में 29 विभागों द्वारा पंचायतों को कार्य प्रत्यायोजित किए गए हैं। इस प्रत्यायोजन के उपरांत भी बहुत से विभागों द्वारा अपने कार्यों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर एवं ग्रामों में विभिन्न समितियों का अपना कामकाज चलाने के लिए गठन किया है। ऐसा करने से पंचायतों के द्वारा अपने बहुत से दायित्वों का निर्वहन भली-भांति नहीं हो पा रहा है। विभागीय समितियों के माध्यम से कार्य कराने पर पंचायतों को प्रत्यायोजित अधिकारों में दोहराव तथा विधिक अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

2. पंचायतों को सशक्त करने तथा विभिन्न विभागों द्वारा गठित अन्य समितियों की आवश्यकता पर पुनर्विचार करने के लिए राज्य स्तर पर निम्न समिति का गठन किया जाता है ;-

1. मा. मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग — अध्यक्ष
2. मा. मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नामांकित — सदस्य
   03 जिला पंचायत अध्यक्ष/01 जिला पंचायत उपाध्यक्ष/
   01 जनपद पंचायत अध्यक्ष/01 सरपंच/अशासकीय संस्था के
   01 प्रतिनिधि/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अकादमिक
   दो संस्थाओं से 02 सदस्य/अशासकीय संस्था के 01 प्रतिनिधि
3. निम्न विभागों के प्रमुख सचिव :-
   राजस्व/स्कूल शिक्षा/महिला एवं बाल विकास विभाग/
   कृषि विभाग/वन विभाग/जल संसाधन/अनुसूचित जाति
   कल्याण/आदिम जाति कल्याण/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/
   लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
4. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग — सदस्य सचिव

3. समिति के कार्य - समिति निम्न बिन्दुओं पर विचार कर अपनी अनुशंसाएं शासन को प्रस्तुत करेगी :-

1. विभागों द्वारा गठित अन्य समितियों की आवश्यकता पर पुनर्विचार,
2. विभागीय समितियों द्वारा किए जाने वाले कार्य किस प्रकार पंचायतों की स्थायी समितियों से अधिक बेहतर ढंग से क्रियान्वित कराया जा सकता है, इस पर विचार,
3. पंचायतों को और सशक्त करने के लिए किन अधिकारों के प्रत्यायोजना की आवश्यकता है।
4. समिति पर व्यय - समिति के प्रशासकीय एवं अशासकीय सदस्यों का व्यय भार पंचायत राज संचालनालय द्वारा 'मांग संख्या-62-योजना क्रमांक-2467 (नॉन प्लान) में मद-31-002-परामर्श सेवाएं' के अंतर्गत किया जावेगा।
5. समिति का कार्यकाल - समिति 03 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

**(एम.के. वार्ष्णेय)**
**प्रमुख सचिव**
**मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग**

# जिला और जनपद पंचायतों को राज्य वित्त आयोग से राशि का आवंटन

**मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों को अपने कार्य सुचारु रूप से संचालित करने के लिए राज्य शासन द्वारा राशि प्रदाय की जाती है। राज्य वित्त आयोग द्वारा जिला और जनपद पंचायतों को राशि प्रदाय की गई है। प्रत्येक जिला पंचायत को 2 करोड़ रुपये और प्रत्येक जनपद पंचायत को 1 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।**

**पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश**
**1, अरेरा हिल्स, प्रशासनिक क्षेत्र, तिलहन संघ परिसर, भोपाल**
**(TelePhone : 0755-2557727, Fax : 0755-2552899)**
**(E-mail : dirpanchayat@mp.gov.in )**

**क्रमांक/पं.रा./रा.वि.आ.-1/2016/9551** **भोपाल, दिनांक 10.08.2016**

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत- समस्त म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत- समस्त म.प्र.।

**विषय :-** 1. राज्य वित्त आयोग मद से जिला/जनपद पंचायतों को प्रदाय राशि के संबंध में।
2. संचालनालय का पत्र क्र. 8348 दिनांक 19.07.2016

**संदर्भ :-** अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. एफ-2-2/2015/22/पं.-1 दिनांक 11.3.2016।

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो जिसमें संदर्भ 01 अनुसार राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अंतर्गत प्राप्त राशि का प्रत्येक जिला पंचायत को रुपये 2.00 करोड़ एवं प्रत्येक जनपद पंचायत को रुपये 1.00 करोड़ का वितरण किया गया है एवं संदर्भ 02 अनुसार मार्गदर्शिका जारी होने के पश्चात प्रदाय राशि के विरुद्ध कार्य स्वीकृति की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के संबंध में राज्य वित्त आयोग की मार्गदर्शिका तैयार कर प्रेषित है। प्रदाय राशि के विरुद्ध कार्यों की स्वीकृति मार्गदर्शिका में दिये गये निर्देशानुसार करें एवं कार्यों की स्वीकृति की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी जिला पंचायत को प्रदाय राशि रुपये 2.00 करोड़ हेतु प्रपत्र "अ" एवं "ब" तथा जनपद पंचायत को प्रदाय राशि रुपये 1.00 करोड़ हेतु प्रपत्र "स" एवं "द" में पृथक-पृथक प्रतिमाह की 05 तारीख तक पंचायत राज संचालनालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न- राज्य वित्त आयोग की मार्गदर्शिका एवं जानकारी का प्रपत्र - "अ से द तक"
(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

**(भीमभाई पटेल)**
**संयुक्त संचालक (निर्माण)**
**पंचायत राज संचालनालय म.प्र.**

**क्रमांक/पं.रा./रा.वि.आ.-1/2016/9552** **भोपाल, दिनांक 10.08.2016**

**प्रतिलिपि :-**

1. विशेष सहायक, मा. मंत्रीजी, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. अवर सचिव, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर पत्र एफ-2-2-2015/22/पं.-1 भोपाल, दिनांक 09.08.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।
4. संभागीय आयुक्त-समस्त संभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, जिला समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
6. अध्यक्ष, जिला/जनपद पंचायत समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ।

# तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर जिला/जनपद पंचायतों के मूलभूत कार्यों हेतु अनुदान

# मार्गदर्शिका

**मध्यप्रदेश शासन**

**पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग**

**प्रस्तावना :-**

संविधान के अनुच्छेद 243-छ' (अनुसूची ग्वारहवीं) के अनुरूप मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 50, 51 तथा 53 (1) के तहत, जिला एवं जनपद पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कृत्यों का क्रियान्वयन करना है।

**1. उद्देश्य :-** राज्य वित्त आयोग की राशि का जिला एवं जनपद पंचायतों के मध्य वितरण किया जायेगा।

1.1 मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 50, 51 एवं 52 में जनपद/जिला पंचायतों के अनिवार्य कृत्यों का व्यापक विश्लेषण किया गया है :-

1.2 शासन ने जिला/जनपद पंचायतों के कार्यों की स्वीकृति हेतु निम्नानुसार प्राथमिकताएं तय की हैं :-

1. समग्र स्वच्छता एवं स्वास्थ्य :- सार्वजनिक सड़कों, नालियों तथा स्वच्छता के अन्य स्थानों का निर्माण।
2. आवागमन के संसाधनों का विकास :- ग्रामीण सड़कों (जहां PMGSY एवं CMGSY से मार्ग स्वीकृत करना संभव नहीं है) तथा पुल/पुलियाओं का निर्माण, आवश्यकतानुसार आंतरिक सी.सी. रोड का निर्माण।
3. सार्वजनिक स्थलों एवं भवनों का निर्माण:- आंगनवाड़ी भवन, प्राथमिक शाला भवन तथा इस प्रकार के सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण जिसमें खेल मैदान का निर्माण भी सम्मिलित है।
4. ग्राम चौपाल, यात्री प्रतिक्षालय, नदी-तालाब के घाट, स्कूल की बाउण्ड्रीवाल तथा श्मशान घाट निर्माण।

1.3 यदि ग्राम पंचायतों के अंदर कार्य किया जाना है तो वह GPDP की प्राथमिकताओं में होना चाहिए। एक से अधिक पंचायतों के मध्य के कार्यों हेतु GPDP का बंधन नहीं होगा।

**2.0 योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया :-**

2.1 उदाहरण स्वरूप यदि किसी निकाय में 20 वार्ड हैं तथा निकाय को एक करोड़ आवंटित है तो प्रत्येक वार्ड को राशि रुपये 5.00 लाख प्रति वार्ड के अनुसार स्वीकृत की जावेगी।

2.2 कार्य की अनुशंसा कंडिका 1.2 में दिए गए कार्यों हेतु संबंधी जिला/जनपद पंचायत के सदस्य द्वारा किया जाएगा, जिसकी सक्षम अधिकारी द्वारा टी.एस. उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति जनपद/जिला पंचायत की सामान्य सभा के अनुमोदन उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जावेगी।

2.3 जनपद पंचायत/जिला पंचायत प्रदाय राशि निकाय की वार्ड में समानुपातिक रूप से व्यय हेतु निर्धारित करेगी। उदाहरण हेतु (2.1 अनुसार)।

2.4 कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति संबंधित पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, के द्वारा सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति के आधार पर की जावेगी।

2.5 इन कार्यों में अन्य योजनाओं जैसे महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना आदि मूलभूत, एफ.एफ.सी. (14वां वित्त) के अंतर्गत जनभागीदारी, स्वच्छ भारत मिशन आदि से अभिसरण (convergence) किया जा सकता है।

2.6 अर्थवर्क (मिट्टी के कार्य) के निर्माण पर प्रतिबंध रहेगा।

**3.0 कार्य का प्राक्कलन :-**

पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले प्रत्येक निर्माण कार्य का प्राक्कलन जिला/जनपद पंचायतों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के द्वारा तैयार किया जाकर उन्हें प्राप्त वित्तीय अधिकार की सीमा में ही तकनीकी स्वीकृति उनके द्वारा जारी की जावेगी।

**3.1 लेखांकन :-**

राज्य वित्त आयोग की राशि का लेखांकन सी.ए.जी. द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर किया जायेगा, जिसका प्रतिवेदन राज्य में लागू की गई ई-गवर्नेंस योजना के अधीन होगा।

**3.2 अंकेक्षण :-**

1. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्यप्रदेश द्वारा किया जाने वाला अंकेक्षण इस योजना का वैधानिक अंकेक्षण होगा।
2. महालेखाकार, ग्वालियर का वार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदन के लिए रिकार्ड उपलब्ध कराना पंचायतों को अनिवार्य होगा।
3. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 18069/22/जे.आर.वाय./वि.-7/97 दिनांक 30.10.1996 में सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था विस्तार से बतायी गई है। इस मद में किये जाने वाले कार्यों का मूल्यांकन/अंकेक्षण इसी प्रकार (अर्थात सामाजिक अंकेक्षण) होगा।
4. इसके अतिरिक्त C.A. Firms द्वारा वार्षिक अंकेक्षण करवाया जाना आवश्यक होगा।

**3.3 प्रगति प्रतिवेदन :-**

1. जिला एवं जनपद पंचायतों को प्रदत्त राशि से स्वीकृत कार्यों की प्रगति की प्रविष्टि तथा व्यय, मूल्यांकन आदि की समस्त प्रविष्टियां पंचायत दर्पण पोर्टल पर निहित प्रावधान अनुसार की जावेंगी। राशि की उपयोगिता पंचायत दर्पण पोर्टल पर दर्ज व्यय तथा मूल्यांकन के आधार पर आंकलित की जावेगी।
2. मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लागू किये गये ई-गवर्नेंस के सॉफ्टवेयर का उपयोग उपरोक्तानुसार किया जाना आवश्यक होगा।

**3.4 राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र :-**

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रति हस्ताक्षर कर आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित किया जायेगा।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत उन्हें उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रति हस्ताक्षर कर जिला पंचायत के पंचायत प्रकोष्ठ अधिकारी को प्रेषित करेगा/जिला पंचायत के पंचायत प्रकोष्ठ अधिकारी जिले की समस्त जनपद पंचायतों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र संकलित कर मुख्य कार्यपालन अधिकरी, जिला पंचायत के प्रति हस्ताक्षर से आयुक्त, पंचायत राज को प्रेषित करेगा।

**3.5 जिला/जनपद पंचायतों को मूलभूत कार्यों के लिये अनुदान :-**

तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा राज्य शासन द्वारा पंचायत विभाग से जिले को आवंटित अनुदान राशि का वितरण म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय के पत्र क्र. एफ-2-2/2015/पं.-1 दिनांक 11.03.2016 के आधार पर निम्नानुसार स्वीकृत किया गया है :-

1. प्रत्येक वर्ष प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों को राशि रुपये 2.00 करोड़ प्रदाय की जावेगी। यह राशि जिला पंचायत के समस्त निर्वाचित सदस्यों को समानुपातिक रूप से वितरीत की जावेगी।
2. प्रत्येक वर्ष प्रदेश की समस्त जनपद पंचायतों को राशि रुपये 1.00 करोड़ प्रदाय की जावेगी। यह राशि जनपद पंचायत के समस्त निर्वाचित सदस्यों को समानुपातिक रूप से व्यय हेतु वितरित की जावेगी।
3. कार्यों का अनुमोदन जिला पंचायत/जनपद पंचायत की साधारण सभा द्वारा किया जावेगा। तत्पश्चात् नियमानुसार प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जावेगी।